खण्ड-394, अंक-3
बृहस्पतिवार, 21 पौष, शक संवत् 1911
(11 जनवरी, 1990 ई0)

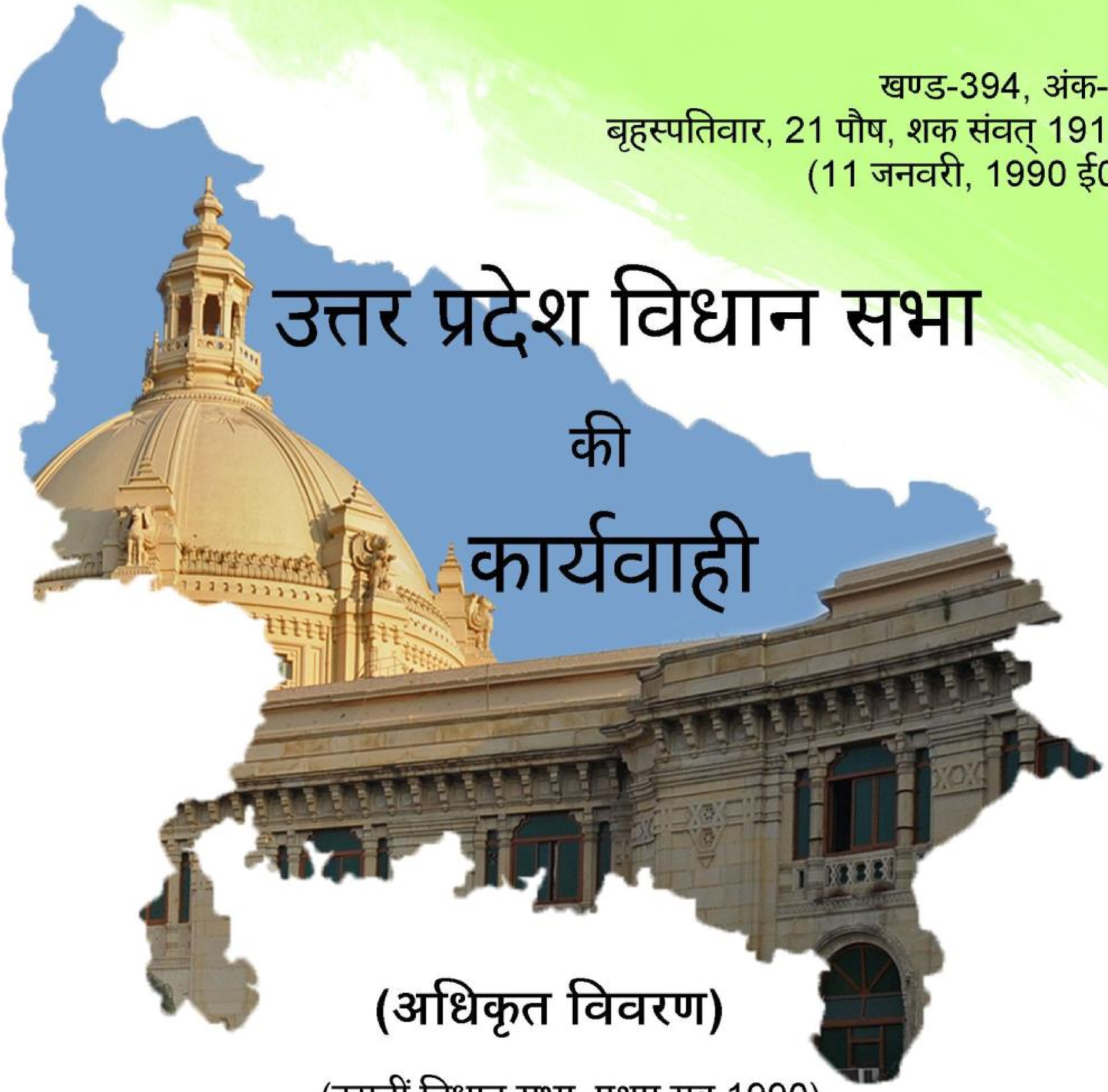

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

## की

# कार्यवाही

## (अधिकृत विवरण)

(दसवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 1990)

खण्ड 394 में 7 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
1990

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

## विषय-सूची


| विषय | | पृष्ठ संख्या |
|---|---|---|
| उपस्थित सदस्य | | क |
| प्रश्नकर्ता सदस्य का नाम न पुकारे जाने पर आपत्ति | .. | 1 |
| प्रश्नोत्तर (जारी) | | 1 |
| प्रश्नोत्तर के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न | .. | 9 |
| प्रश्नोत्तर | | 10 |
| विधान सभा के नव-निर्वाचित सदस्य श्री परमात्मा शरण मित्तल के निधन पर शोकोद्गार | | 38 |
| विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य, श्री रघुकुल तिलक, श्री कालीचरण, श्री धर्मदत्त वैद्य, श्री शोबन सिंह जीना, श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह, श्री राजपाल, श्री अक्षयवर सिंह, श्री गौरीराम गुप्त, श्री मोहम्मद असलम हाफिज, श्री ख्याली राम, श्री जगन्नाथ लहरी तथा श्री बल्देव सिंह सरदार के निधन पर शोकोद्गार | | 41 |
| नस्थियां | | 52 |


उत्तर प्रदेश विधान सभा

कबीर पदुआ सभा

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, दिनांक 11 जनवरी, 1990

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में, अध्यक्ष, श्री हरी किशन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :–

| | | | |
|---|---|---|---|
| अरविन्द कुमार, श्री | ललितपुर | रिफाकत हुसैन, श्री | मुरादाबाद |
| काजी मो0 मोहिउद्दीन, श्री | हरिद्वार | लटूरी सिंह, श्री | एटा |
| प्रवीण सिंह एरन, श्री | बरेली | विजय सिंह राणा, श्री | आगरा |
| मण्डलेश्वर, श्री , | आगरा | शतरुद्र प्रकाश, श्री | वाराणसी |
| महेन्द्र सिंह, श्री | पिथौरागढ़ | शिव प्रताप शुक्ल, श्री | गोरखपुर |
| मुस्तमन्द अली खां, श्री | मथुरा | सच्चिदानन्द बाजपेयी, श्री | उन्नाव |
| राजनाथ सोनकर शास्त्री, श्री | गाजीपुर | | |

विधान सभा प्रदेश

मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना

गुरुवार, दिनांक 11 जनवरी, 1990

**प्रश्नकर्ता सदस्य का नाम न पुकारे जाने पर आपत्ति**

(प्रश्नकर्ता का नाम न पुकार करके उत्तर देने के लिए माननीय मंत्री जी को पुकारे जाने पर)

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, पहले आप देख तो लीजिये कि संबंधित प्रश्न करने वाले मा0 सदस्य उपस्थित भी हैं या नहीं?

श्री अध्यक्ष–

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यह कोई आवश्यक नहीं है कि मैं मा0 मंत्री जी का नाम ही लूं, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैंने यह नहीं कहा है। मैंने कहा है कि जिस सदस्य ने प्रश्न पूछा है पहले आप उनका नाम ले लें।

श्री अध्यक्ष–

आपकी आपत्ति सही है। अब मैं माननीय रवीन्द्र नाथ तिवारी जी का पहले नाम लेता हूं। मा0 तिवारी जी उपस्थित हैं।

कुंवर रेवती रमण सिंह उर्फ मणि जी–

मान्यवर, मा0 प्रमोद तिवारी बहुत व्याकुल हैं बिल्कुल व्याकुल भारत बने हुए हैं, इनके लिए विशेष व्यवस्था प्रदान करने की कृपा करें।

**प्रश्नोत्तर**

**अल्पसूचित तारांकित प्रश्न**

**प्रदेश के सरकारी नलकूपों को ठीक करवाने की मांग**

**1–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि उनकी और प्रदेश सरकार की दिसम्बर, 89 की इस स्पष्ट घोषणा के बावजूद कि पन्द्रह दिन के अन्दर प्रदेश के सभी सरकारी नलकूप ठीक से काम करने लगेंगे उक्त पन्द्रह दिन की अवधि बीत जाने के बाद भी प्रदेश में पचास प्रतिशत से अधिक सरकारी नलकूप खराब और बन्द पड़े हैं और जनपद फैजाबाद के कटेहरी विधान सभा क्षेत्र में खराब और बन्द पड़े सरकारी नलकूपों की संख्या इससे भी अधिक है जिससे किसानों में असन्तोष व्याप्त है? यदि हां, तो सही स्थिति क्या है और सरकार इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या कर रही है?

सिंचाई मंत्री (कुंवर रेवती रमण सिंह उर्फ मणि जी)–

नवीनतम सूचना अनुसार दिनांक 29-12-89 को प्रदेश में कुल चालित 26329 नलकूपों में से 3271 नलकूप बन्द हैं जिसका प्रतिशत 12.43 है। दिनांक 27-11-89 को बन्द नलकूपों का प्रतिशत 14.84 था। दिनांक 27-11-89 से 29-12-89 के दौरान 3248 नलकूप चालू हालत में लाये गये। इस प्रकार बन्द नलकूपों की स्थिति में सुधार हो रहा है।

जनपद फैजाबाद के कटेहरी विधान सभा क्षेत्र में 165 राजकीय नलकूप कार्यरत थे जिनमें से वर्तमान में 3 नलकूप असफल हो जाने के कारण बन्द कर दिये गये हैं और शेष 162 नलकूपों में से दिनांक 29-12-89 की बंदी की सूचना के अनुसार कुल 32 नलकूप खराब हैं जिनको शीघ्र ठीक कराकर चालू कराने की कार्यवाही की जा रही है।

नलकूप बन्दी की स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से युद्ध स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है और सभी संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दे दिये गये हैं। नलकूप बंदी के सम्बन्ध में जनता एवं जन प्रतिनिधियों से प्राप्त शिकायतों के नियमित अनुश्रवण करने के लिए शासन स्तर पर एक कोष्ठक गठित किया गया है और इसके साथ ही प्रमुख अभियन्ता सिंचाई विभाग व जोनल मुख्य अभियन्ता स्तर पर भी कोष्ठक बनाये जाने के आदेश निर्गत किये जा चुके हैं ताकि नलकूप बंदी में शिकायतों के संबंध में नियमित अनुश्रवण हो सके।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

श्रीमन्, आपकी अनुमति से मैं पहले तो माननीय सिंचाई मंत्री को बधाई देना चाहूंगा कि इससे पहले जो शासन स्तर पर इस तरह के सवाल होते थे तो इस तरह के सवालों के बारे में अक्सर जवाब आ जाया करता था कि सूचना एकत्रित की जा रही है, लेकिन इन्होंने कृपा करके सवाल का जवाब दिया, लेकिन मान्यवर, सत्ता परिवर्तन के बाद श्रीमन्, हमने व्यवस्था परिवर्तन का भी वायदा किया है, लेकिन मैं निश्चित रूप से यह समझता हूं कि सरकार के पास जो संसाधन बचे हैं, उनको देखते हुए व्यवस्था परिवर्तन का हो पाना जल्दी सम्भव नजर नहीं आ रहा है, इन सबके बावजूद जो उत्तर माननीय मंत्री जी ने दिया है, उसी आधार पर मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि आपकी महत्वाकांक्षी घोषणाएं जो कि काफी दिनों पहले से कटेहरी विधान सभा क्षेत्र के तीन नलकूप असफल हुए हैं और 32 नलकूप बन्द पड़े हैं, को चालू करवाएंगे, यदि हां तो इन 35 नलकूपों को चालू हालत में लाने के लिए अब तक कितना धन आवंटित किया गया है और अब यह सारे नलकूप कितने समय में ठीक करा दिए जायेंगे, क्या कोई निश्चित अवधि बताने की कृपा करेंगे ?

कुंवर रेवती रमण सिंह उर्फ मणि जी–

जो 3 नलकूप बोरिंग में असफल हुए हैं, उनके लिए फिर से तत्काल सर्वेक्षण करवाया जा रहा है और यह स्थान यदि इसके लिए उपयुक्त न हुए तो फिर से बोरिंग करवाकर अन्यत्र लगवाए जायेंगे और जो 32 नलकूप बंद पड़े हैं, उनके लिए भी आदेश दे दिए गए हैं लेकिन एक व्यवहारिक कठिनाई पड़ रही है कि मोटर और पम्प सेट्स

जो हैं, उनके लिए टेण्डर करने पड़ते हैं। इसलिए मैं अपने वरिष्ठ सदस्य, माननीय तिवारी जी से कहूंगा यही 35 ट्यूबवेल नहीं बल्कि पूरे उ0 प्र0 में जितने भी इस प्रकार के खराब नलकूप पड़े हैं, उन सभी को चालू करने के लिए 2 करोड़ रुपयों की व्यवस्था कर दी गयी है. और जो व्यवस्था परिवर्तन की बात माननीय सदस्य ने कही है, वह भी होगा जिस तरह से सत्ता परिवर्तन हुआ है उसी तरह से यह भी होगा, प्रयास जारी है, थोड़ा समय अवश्य लगेगा साथ ही मैंने यह भी आदेश दे दिए हैं कि जैसे ही सदन समाप्त हो, मुख्य अभियन्ता राजकीय नलकूप तथा मुख्य अभियन्ता, विश्व बैंक आपके साथ आपके क्षेत्र में जायेंगे और वहां रहकर सभी नलकूपों को चालू कराने की व्यवस्था करेंगे।

(शोर)

डाक्टर ब्रजभूषण मणि त्रिपाठी–

मान्यवर, मैं फैजाबाद से हूं, मुझे भी कुछ कहने का अवसर दिया जाए।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

मान्यवर, आपके उत्तर के संदर्भ में मैं यह कहना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि माननीय मंत्री जी द्वारा की गयी तमाम घोषणाएं इसलिए पूरी नहीं हो पा रही हैं कि विरासत में मा0 मंत्री जी को खाली खजाना मिला है, तो संसाधनों व पैसे के अभाव में यह कार्य त्वरित गति से नहीं हो पा रहे हैं, तो क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि इन्हें अब पूरा करने में कितना समय लगेगा?

कुंवर रेवती रमण सिंह उर्फ मणि जी–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो सवाल किया है, वह बहुत ही उपयुक्त है, खजाना खाली ही है, इसीलिए पहले भी जब हम लोग शिकायत करते थे कि नलकूप चल नहीं रहे हैं और जो बंद पड़े हैं वह भी नहीं बन पा रहे हैं, तो उस समय हमें शासन की ओर से यही जवाब मिलता था कि 80 और 90 प्रतिशत नलकूप चल रहे हैं, लेकिन वास्तविकता यह नहीं थी, जिसे हम लोग नहीं मानते थे, मैं स्वयं भी नहीं मानता था कि 80 व 90 फीसदी नलकूप चल रहे हैं, लेकिन अब इन्हें इसी हिसाब से चलाने के प्रयास किए जा रहे हैं इनके लिए जितने धन की आवश्यकता थी, 2 करोड़ रु0 की वह भी आवंटित कर दिए गये हैं। (शोर) (सत्ता पक्ष की ओर से तालियों की गड़गड़ाहट)

श्री प्रमोद कुमार–

जब सारा खजाना खाली मिला है तो यह धन कहां से आया दो करोड़ रुपया?

(सत्ता पक्ष के एक साथ कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न काल में विरोध पक्ष के मा0 सदस्यों का हक ज्यादा होता है,

(विरोध पक्ष के एक सदस्य के खड़े होने पर)

कृपया पहले अपना नाम बताएं, नाम बताते हुए अपनी बात को कहें।

डाक्टर बृज भूषण मणि त्रिपाठी–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि फैजाबाद जनपद में कितने नलकूप खराब हैं और किन कारणों से खराब हैं ?

(व्यवधान)

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि फैजाबाद में कितने नलकूप खराब हैं और वह किन-किन कारणों से खराब हैं? माननीय मंत्री जी ने जो आंकड़े दिए हैं वह फर्जी हैं और सत्य से परे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि 50 फीसदी नलकूप बिजली न होने के कारण खराब हैं और माननीय मंत्री जी ने यहां पर गलत बयानी की है। फैजाबाद में यह हालत है, तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कितने खराब हैं और किस डिफेक्ट के कारण खराब हैं?

श्री अध्यक्ष–

इसका उत्तर आ चुका है। अल्पसूचित प्रश्नों का समय 20 मिनट होता है, इसलिए समय का ध्यान रखें। जो प्रश्न आप कर रहे हैं, उसका उत्तर आ चुका है। अब हम प्रश्न नम्बर 2 पर आते हैं।

डाक्टर बृजभूषण मणि त्रिपाठी–

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया।

श्री अध्यक्ष–

फैजाबाद का प्रश्न था, उसको माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है।

(व्यवधान)

नेता विरोधी दल (श्री नारायण दत्त तिवारी)–

श्रीमन्, मैं जानना चाहूंगा कि सम्मानित मंत्री जी ने ट्यूबवेलों की मरम्मत के परिपेक्ष्य में व्यवस्था परिवर्तन की बात कही, तो व्यवस्था परिवर्तन से उनका क्या अर्थ है और उसको किस परिपेक्ष्य में वह नई व्यवस्था मानते हैं और उसका उनकी मरम्मत से क्या सम्बन्ध है? क्या इसको स्पष्ट करेंगे?

कुंवर रेवती रमण सिंह उर्फ मणि जी–

मान्यवर, मैं नेता विरोधी दल का बहुत आभारी हूं और वह हमारे बड़े भाई भी हैं, उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। व्यवस्था परिवर्तन से मतलब यह है कि अभी तक विधायक केवल विधान सभा में शिकायत करता था, उनकी बात को जो सरकार थी तत्कालीन, वह अनसुनी कर देती थी। मैंने व्यवस्था यह किया है कि नहर की सफाई में जो घपला होता था, तो उस कमेटी में विधायक को भी रख दिया है और जब तक विधायक लिखकर नहीं देगा, तब तक पेमेंट नहीं होगा।

(व्यवधान होने पर)

श्री अध्यक्ष–

आपके 5 मिनट रह गये हैं, वह समाप्त हो जायेंगे। आप उत्तर सुन लें। आपके ही प्रश्न रह जायेंगे।

## उत्तर प्रदेश, सिंचाई आयोग के ऊपर खर्च की गयी धनराशि एवं आयोग द्वारा प्रेषित रिपोर्ट

**2–श्री ऊदल–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई आयोग उत्तर प्रदेश के ऊपर सन् 85 से लेकर अब तक कितना रुपया खर्च किया गया और आयोग ने सिंचाई सुधार के बारे में कितनी रिपोर्ट दी है? क्या सरकार इस आयोग को समाप्त करने पर विचार करेगी?

कुंवर रेवती रमण सिंह उर्फ मणि जी–

सिंचाई आयोग, उत्तर प्रदेश के ऊपर सन् 1985 से लेकर अब तक कुल रुपए 53,46,589.10 पैसे खर्च किया गया है तथा आयोग सिंचाई सुधार के बारे में शासन को सिंचाई सम्बन्धी तीन विषयों पर चार खण्डों में रिपोर्ट प्रकाशित कर प्रेषित कर चुका है। पांचवां खण्ड स्प्रिंकलर प्रणाली पर ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार की जा चुकी है तथा ड्राफ्ट रिपोर्ट में दिये गये सुझावों के आर्थिक पहलुओं पर विस्तृत अध्ययन किया जा रहा है।

सिंचाई आयोग की स्वीकृति की अवधि सम्प्रति 28-2-90 तक है। इसके उपरान्त आयोग के अस्तित्व के बारे में निर्णय लिया जायेगा।

श्री ऊदल–

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे

(व्यवधान)

(श्री जागेश्वर विरोध पक्ष की ओर से सत्ता पक्ष की ओर सदन के फ्लोर को क्रास करते हुए बैठ गये।)

श्री अध्यक्ष–

माननीय जागेश्वर जी, आप ऐसा न करें। . . . (व्यवधान) मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे माननीय सदस्य श्री जागेश्वर जी को वहां से बुलवा लें और जहां पर वे बैठे थे वहीं पर वापस बुलवा लें।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, नये सदस्य हैं। सदन के नियमों को नहीं जानते हैं।

श्री अध्यक्ष–

मंत्री जी, आप माननीय सदस्य से निवेदन करें कि वे वहां से वापस हों।

जन स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री (श्री मुख्तार अनीस)–

माननीय जागेश्वर जी, आप वहां से वापस चले जायं।

(श्री जागेश्वर पुनः अपने पूर्व स्थान पर वापस चले गये।)

एक सदस्य–

(विरोध पक्ष की ओर से) यह क्या [xxx] कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता विरोधी दल, माननीय सदस्य ने जो शब्द कहे हैं,

श्री मुख्तार अनीस–

मान्यवर, माननीय सदस्य नये हैं . . . (व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार–

ये नये नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष–

यदि कोई भूल हो गई है तो वे अब वापस हो गये हैं।

श्री ऊदल–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि इस आयोग में कौन साहब अध्यक्ष थे और कितने इस आयोग के सदस्य थे और अलग-अलग उन लोगों पर कितना रुपया खर्च हुआ है?

श्री अध्यक्ष–

मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि अभी एक माननीय सदस्य ने कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जिन्हें सदन में नहीं कहना चाहिए। उनको जान लेना चाहिए कि प्रश्नकाल में कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाना चाहिए। . . . (व्यवधान)

श्री ऊदल–

मान्यवर, मैंने सवाल किया था कि क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस आयोग के कौन अध्यक्ष थे और कितने इसके सदस्य थे और अलग-अलग इन लोगों पर कितना रुपया खर्च हुआ?

कुंवर रेवती रमण सिंह उर्फ मणि जी–

मान्यवर, माननीय मोहन सिंह जी इसके अध्यक्ष थे और इसके तीन तकनीकी सलाहकार थे। 22 लोग इसके सदस्य थे। इस प्रकार का कुल इसका गठन था। मान्यवर, इस समय कोई अध्यक्ष नहीं है और 28 फरवरी को इसका कार्यकाल पूरा हो जायेगा और उसके बाद सरकार इस पर विचार करेगी।

श्री ऊदल–

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि 5 साल के अन्दर इसकी तीन रिपोर्ट आई हैं। अभी चौथी छपने के लिए गई है। सन् 85 के पूर्व मैं इसका सदस्य था और मेरे ऊपर एक रुपया भी खर्च नहीं हुआ . . . (व्यवधान) मैंने पहले ही इसके बारे में लिखकर दे दिया था लिफ्ट कैनाल योजनाओं के बारे में। क्या सरकार को इस बात की जानकारी है?

---

नोट :–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

कुंवर रेवती रमण सिंह उर्फ मणि जी–

अभी उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। अभी पूरी रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। पूरी रिपोर्ट प्राप्त होने पर कोई कार्यवाही की जा सकेगी।

श्री अध्यक्ष–

अल्पसूचित तारांकित प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

(नत्थी–क, प्रश्न संख्या–1 हेतु, श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त का नाम पुकारे जाने पर)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

मान्यवर, एक सवाल की इजाजत दे दें

श्री अध्यक्ष–

उसका समय समाप्त हो गया।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

भ्रष्टाचार का एक यह नमूना है। एक प्रश्न करने दें।

श्री अध्यक्ष–

वह समय समाप्त हो गया। मान्यवर, आप नियमों को देखें।

श्री शारदा प्रताप शुक्ल–

मान्यवर, इसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है एक प्रश्न करने दें ।

श्री अध्यक्ष–

आप नियम देखें, अल्पसूचित तारांकित प्रश्न का समय समाप्त हो गया है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

एक सवाल मान्यवर, करने दें (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप बैठें। मैं नियमों के विरुद्ध नहीं जाऊंगा (व्यवधान) नियमों के अन्तर्गत 11.20 मिनट पर अल्पसूचित प्रश्नों का समय समाप्त हो जाता है, वह हो गया है।

श्री शारदा प्रताप शुक्ल–

एक मिनट सुन लें .

श्री अध्यक्ष–

शुक्ल जी, मैं व्यवस्था दे चुका हूं उसके उपरान्त तारांकित प्रश्न प्रारम्भ हो गया है, माननीय सदस्य खड़े हो गये हैं और मंत्री जी उत्तर देने जा रहे हैं। यदि कोई बात आवश्यक रह गयी है तो आप कक्ष में आकर बात कर लें, माननीय मंत्री जी को भी बुला लेंगे। (व्यवधान)

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, आपकी दृष्टि इधर नहीं पड़ रही है हम लोगों की बात भी सुन लिया करें (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अब उसका समय हो गया है मैंने प्रश्न संख्या एक तारांकित ले लिया है । (व्यवधान)

[गुरुवार, दिनांक 11 फरवरी, 1990 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

**अंशकालिक नलकूप चालकों की वेतन वृद्धि, स्थाईकरण एवं राजकीय कर्मचारी घोषित किये जाने की मांगों पर विचार**

*1—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि अंशकालिक नलकूप चालकों की वेतन वृद्धि स्थाईकरण, राजकीय कर्मचारी घोषित करने की मांगों के बारे में तत्कालीन सिंचाई मंत्री तथा उक्त चालकों के प्रतिनिधियों (जिनमें प्रश्नकर्ता भी शामिल थे) के बीच बजट सत्र 1989 के दौरान जो समझौता वार्ता हुई थी उसके कार्यान्वयन में क्या प्रगति हुई है ?

कुंवर रेवती रमण सिंह उर्फ मणि जी—

अंशकालिक नलकूप चालकों की सेवा शर्तों से संबंधित प्रकरण शासन के विचाराधीन है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मैं प्रश्न करूं ? माननीय मंत्री जी पढ़ चुके हैं ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा—

हम नहीं सुन पाये ।

श्री अध्यक्ष—

मैंने भी नहीं सुना इस शोरगुल में सुनाई नहीं पड़ा । आप लोग सदन में शांति बनाये रखने के लिये सहायता करें तभी काम चलेगा । मुझे खुद नहीं सुनाई दिया । जब माननीय मंत्री जी उत्तर पढ़ें तो आप शांति से सुनें ।

कुंवर रेवती रमण सिंह उर्फ मणि जी—

माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने सुन लिया मैं फिर पढ़ देता हूं ।

(उत्तर पुनः पढ़ा गया)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मैं माननीय सिंचाई मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस समय पूरे प्रदेश में हजारों की संख्या में अंशकालिक नलकूप चालक काम कर रहे हैं । इनको वही काम करना पड़ता है जो काम पूर्णकालिक नलकूप चालक करते हैं । इनकी मांग है कि इनको राजकीय कर्मचारी घोषित किया जाय, इनकी सेवायें परमानेंट की जांय वेतन के रूप में जो मात्र रु0 290 पगार मिलती है उसे बढ़ा कर न्यूनतम मजदूरी, जो वेजेज एक्ट के अनुसार मिलनी चाहिये वह दी जाय । इसको लेकर यह आंदोलन कर रहे हैं । इस संबंध में सरकार से उनकी वार्ता हुई और मांगों को सिद्धान्ततः स्वीकार भी कर लिया गया था और उसे कार्यान्वित करने का वायदा किया गया था । मैं जानना चाहता हूं कि जो उन्होंने उत्तर दिया है कि इनका प्रकरण शासन के विचाराधीन है तो क्या शासन ने निर्णय कर लिया है कि उनका स्थायीकरण किया जाय और वेतन वृद्धि की जाय तथा उन्हें पूर्णकालिक मान लिया जाय । क्या उसे कार्यान्वित करने की प्रक्रिया शासन के विचाराधीन है उसकी प्रगति क्या है क्या-क्या बिन्दु विचाराधीन हैं ?

कुंवर रेवती रमण सिंह उर्फ मणि जी–

इसमें जो प्रमुख बिन्दु है कि वेतन में क्या वृद्धि दी जाय, सेवा नियमावली को ऐसा बनाया जाय जो अभी 3 घंटे काम करते हैं उसके करने के बाद ऐसा हो कि जिससे पूरा समय नलकूप पर दे सकें । इनको जो पैसा मिले वह ऐसा मिले कि जो उनके भरण-पोषण के लिये पर्याप्त हो । इन सभी बिन्दुओं पर सरकार विचार कर रही है और इस पर शीघ्र ही निर्णय हो जायेगा ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

मैं जानना चाहता हूं कि जो अंशकालिक नलकूप चालक नियुक्त किये गये हैं उनमें ऐसे भी लोग हैं जो कुओं में जाते नहीं हैं और उनके पास समय भी नहीं है और नियुक्ति पत्र उनके पास मौजूद है । तो क्या ऐसे मामलों पर पुनर्विचार करेंगे ऐसे लोगों के स्थान पर रोजगार दफ्तर से प्रार्थना-पत्र आमंत्रित कर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करेंगे और जो स्थायी रूप से काम कर रहे हैं उनके स्थायीकरण पर विचार करेंगे ?

श्री शैलेन्द्र कुमार–

मान्यवर, सिंचाई मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं कि अंशकालिक नलकूप चालक पूरे प्रदेश में 15 हजार हैं और विगत 5 वर्षों में 299 रुपये केवल वेतनमान पर रखे गये हैं, क्या मंत्री जी उनका नियमितीकरण करेंगे और क्या अंशकालिक प्रथा को समाप्त करके समान वेतन देने की कृपा करेंगे ?

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, क्या यह व्यवस्था कर दिया है कि कई माननीय सदस्य प्रश्न पूछ लें और उनका एक साथ उत्तर मंत्री जी दें ?

श्री अध्यक्ष–

सिंचाई मंत्री जी अब श्री रघुवर दयाल वर्मा और श्री शैलेन्द्र कुमार के प्रश्नों का जवाब दे दें ।

## प्रश्नोत्तर के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री विमल प्रसाद तिवारी–

व्यवस्था का प्रश्न है आप विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के अनुसार एक प्रश्नकर्ता प्रश्न करेंगे और आप उसको स्वीकार करके मंत्री जी से उत्तर देने के लिये कहेंगे और जब मंत्री जी उत्तर दे लें तो दूसरे प्रश्नकर्ता को प्रश्न करने का मौका देंगे या एक साथ 3-4 प्रश्नकर्ता को प्रश्न करने का मौका देकर उत्तर एक साथ दिलायेंगे और इस प्रकार अपने मन से चलेंगे, इस पर व्यवस्था दे दें ?

श्री अध्यक्ष–

इतना निर्णय करने का मुझे अधिकार है कि जो प्रश्न उन्होंने किया है उस प्रश्न के बारे में मैं यदि आवश्यक समझता हूं तो मंत्री जी से कहूं कि उत्तर दे दें और तभी मंत्री जी को बुलाऊंगा । तो इतना अधिकार पीठ को नहीं देंगे तो इसके माने पीठ को आपने अधिकार नहीं दिया ।

श्री विमल प्रसाद तिवारी–

प्रश्नकर्ता के प्रश्न को अनावश्यक समझा तो उसकी घोषणा करते और उसके बाद दूसरे प्रश्नकर्ता को पुकारते ।

श्री अध्यक्ष–

इसकी आवश्यकता नहीं है ।

जो श्री वर्मा जी ने प्रश्न किया था और श्री शैलेन्द्र कुमार ने प्रश्न किया था उसका मंत्री जी उत्तर दे दें ।

प्रश्नोत्तर (क्रमागत)

कुंवर रेवती रमण सिंह उर्फ मणि जी–

श्री वर्मा जी ने जैसा प्रश्न पूछा, उसमें यह निहित है, जो मैंने पहले ही कहा था जवाब में कि उनकी सेवाशर्तों पर विचार कर रहे हैं और बहुत जल्द ही विचार हो जायेगा कि क्या उनको दिया जा रहा है । उनको हटाकर दूसरों को रख लिया जाये वह संभव नहीं है चूंकि बहुत दिनों से वह काम कर रहे हैं । इसलिये उनको हटाकर सेवा समाप्त कर दी जायं, यह उपयुक्त नहीं होगा ।

(शोर)

मान्यवर, जो शैलेन्द्र कुमार ने पूछा है उसका जवाब दे लेने दें . . ।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर ।)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग बैठ जांय । श्री शैलेन्द्र के प्रश्न का उत्तर मंत्री जी दे दें ।

कुंवर रेवती रमण सिंह उर्फ मणि जी–

मान्यवर, शैलेन्द्र जी ने वही बातें उठाई हैं, जो इस पर अन्य सम्मानित सदस्यों ने कहीं थीं, मैं उनसे यह कह रहा हूं कि जो आपने कहा है, उस पर शासन पहले ही विचार कर रहा है कि उनको हम क्या सुविधाएं दें और उनके साथ क्या सेवा शर्तें रखें कि काम भी ठीक हो और उनकी सेवा शर्तों में भी सुधार हो । तो उस पर शासन विचार कर रहा है और बहुत शीघ्र ही वह अपना निर्णय लेगी ।

श्री प्रमोद कुमार–

मैं आपके माध्यम से सिंचाई मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो एक समझौता हुआ है–चालक और सरकार के बीच में . . .

कुंवर रेवती रमण सिंह उर्फ मणि जी–

मैंने यह कहां कहा है । समझौते वाली बात कहां से आ गई ।

श्री प्रमोद कुमार–

उत्तर में यह है कि राजेन्द्र कुमार गुप्त जी के साथ एक समझौता हुआ है, तो मैं इसमें यह जानना चाहता हूं कि उसके मुख्य बिन्दु क्या हैं और क्या उसको यह सरकार ईमानदारी से कार्यान्वित करना चाहती है ? यदि वह करना चाहती है तो सरकार कर दे, नहीं तो वह जल्दी ही चले जाएंगे और उनके कहने के लिए रह जाएगा . . . (व्यवधान)

कुंवर रेवती रमण सिंह उर्फ मणि जी–

माननीय सदस्य प्रतापगढ़ बहुत बेचैन हैं, मंत्री बनने के लिए । मैं चाहूंगा कि वह फ्लोर क्रास करके इधर आ जाएं तो मैं विचार कर लूंगा कि उनको मंत्री बनाया जाए या नहीं । वैसे वर्तमान स्थिति में तो निकट भविष्य में उनके मंत्री बनने या उनकी

सरकार बनने की कोई आशा दिखाई नहीं दे रही है । तो यह थोड़ा सब्र रखें और विपक्ष की भूमिका निभाना सीखें । जिनके प्रति यह यहां सहानुभूति दिखा रहे हैं, उनके लिए इन्होंने पिछले पांच साल में तो कुछ किया नहीं । राजेन्द्र कुमार गुप्त जी की चिन्ता को तो मैं समझ सकता हूं । अपनी कथनी की बात हम करने जा रहे हैं, आपने किया नहीं, हम करने जा रहे हैं तो आप क्यों बेचैन हैं। हमारी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं होगा, हम जितना कहेंगे वह करेंगे अवश्य। . . (व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं । मैंने माननीय मंत्री जी से जानना चाहा कि समझौता हुआ तो उसके मुख्य बिन्दु क्या थे ? मैंने यह नहीं जानना चाहा कि वह क्या करेंगे या क्या नहीं करेंगे । समझौता हुआ है तो वह उसके मुख्य बिन्दु बता दें । नहीं हुआ है तो यह वैसा बता दें ?

श्री अध्यक्ष–

मैं पुनः मंत्री जी से चाहूंगा, राजेन्द्र कुमार गुप्त जी से कहूंगा कि वह प्रश्न पूछ लें, तो मंत्री जी उसका उत्तर दे देंगे ।

श्री प्रमोद कुमार–

मेरा सीधा सा प्रश्न है, समझौता हुआ है या नहीं . . .

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप लोगों की रुचि है नहीं ? मैंने चाहा कि जितने प्रश्न हैं आ जाएं और फिर उनके उत्तर आ जाएं । तो यह सदन की रुचि नहीं है । मैं चाहूंगा कि.

(व्यवधान)

आपने पहले प्रश्न में ही इतना समय ले लिया है । अब राजेन्द्र कुमार जी ।

श्री प्रमोद कुमार–

आप यह थोक का व्यापार बन्द कराइये और फुटकर व्यापार चलने दीजिए मैंने एक प्रश्न पूछा . . . (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैंने इसका उत्तर दे दिया है । मैंने राजेन्द्र कुमार गुप्त जी का नाम ले लिया है । मैंने आपको सुनने के बाद राजेन्द्र कुमार गुप्त जी को बुलवाया है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, हमारे गांवों में एक कहावत है, यदि असंसदीय हो तो बताइयेगा– "नई नाऊन और बांस का नहन्ना" । हमेशा से आप वहां बैठे रहे हैं और आज आप लोग यहां बैठ गये हैं तो इस तरह की बातें कर रहे हैं । अगर समझौता जनहित में कार्यान्वित हो गया होता तो उसको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी नई सरकार पर होती और हम उनसे कहते । किन्तु चूंकि पुरानी सरकार ने जनहित में कोई काम किया ही नहीं, उनका यह उद्देश्य ही नहीं था, वह लोकहितकारी और जनहितकारी कार्यों को करने में असमर्थ रही, इसलिए आज वर्तमान लोकप्रिय सरकार के सिंचाई मंत्री जी से हमने सवाल जानना चाहा है मैं माननीय सिंचाई मंत्री जी का आभारी हूं उन्होंने हमारे प्रदेश के हजारों-हजार नलकूप चालकों की पीड़ा समझकर शीघ्र निस्तारण की बात कही

है । मैं जानना चाहता हूं पुरानी सरकार ने उनके साथ बहुत धोखा किया । वह लोग हजारों की संख्या में जेल गये उसके बाद भी सरकार पसीजी नहीं ।

श्री अध्यक्ष–

आप प्रश्न करें ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मैं उनकी पीड़ा की ओर पुनः सिंचाई मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं और यह जानना चाहता हूं कि फरवरी महीने के अन्त तक, क्या इसके बारे में सरकार द्वारा कोई निर्णय ले लिया जाएगा?

एक सदस्य–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नों के बीच में कोई व्यवस्था नहीं होती है । (व्यवधान) माननीय मंत्री जी खड़े हैं मैंने माननीय मंत्री जी का नाम लिया है वह उसका उत्तर दें । जो काम इन लोगों ने किया वही आप भी कर रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह–

मान्यवर, इसमें चर्चा करा दीजिए ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, यह नूरा-मुश्ती कब तक चलेगी ?

कुंवर रेवती रमण सिंह उर्फ मणि जी–

मान्यवर, यह नूरा-मुश्ती बार-बार कह रहे हैं । हम और वह सहयोगी की तरह हैं । लेकिन यह बीच में [xxx] ।

(व्यवधान)

मैं माननीय गुप्ता जी से कहना चाहूंगा कि हम कोशिश करेंगे कि यह पहले हो जाए, लेकिन 31 मार्च तक आप हमें समय दे दें । यह निर्णय 28 फरवरी तक भी हो सकता है ।

(मेजों की थपथपाहट)

लेकिन हम निवेदन करेंगे कि आप हमें 31 मार्च तक समय दे दें ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह–

मान्यवर, जो मंत्री जी ने [xxx] शब्द कहा है उसे कार्यवाही से निकाला जाए ।

(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

[xxx] इसको कार्यवाही से निकलवाने के आदेश दिए जाएं ।

(घोर व्यवधान)

---

नोट:–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री विजय सिंह राणा–

[xxx]

(घोर व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, हमारे [xxx] होने का प्रश्न ही नहीं है, हम तो स्पष्ट रूप से विरोधी दल के हैं ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने किसी भी माननीय सदस्य का एक वाक्य नहीं सुना । 4 माननीय सदस्य एक साथ बोल रहे हैं, मैं किसके बारे में व्यवस्था दूं । कोई बात स्पष्ट रूप से सुनाई नहीं दे रही है तो व्यवस्था मैं क्या दूंगा । न ही वह कार्यवाही में आ रहा है, कोई सुन ही नहीं पा रहा है मैं देख लूंगा और व्यवस्था दे दूंगा कि संसदीय है या असंसदीय ।

*2–डाक्टर दिनेश जौहरी–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

**आजमगढ़ जिले के हरैया ब्लाक में घाघरा नदी के कटाव को रोकने की मांग**

*3–श्री पंचानन राय–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1988-89 में आजमगढ़ जिले के हरैया ब्लाक में किन-किन गांवों में कितनी-कितनी भूमि तथा कितने मकान घाघरा नदी के कटाव के कारण नदी की धारा में विलीन हो गये ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि घाघरा के कटान को रोकने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गयी है और भविष्य में क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

कुंवर रेवतीरमण सिंह उर्फ मणि जी–

आजमगढ़ जिले की हरैया ब्लाक में वर्ष 1988-89 में घाघरा नदी की बाढ़ से लगभग 150 हेक्टेयर भूमि व 6 गांवों के 69 घर जो फूस की झोपड़ी (मड़ई) थीं, नदी के कटाव में आये हैं । यह भूमि व मड़ई, नदी की धारा व उसके पीछे बने हुए महुला गढ़वल बांध के बीच, बाढ़ क्षेत्र में अवस्थित थे ।

वर्तमान में घाघरा नदी के सहारे दायें तट पर ग्राम गढ़वल से ग्राम महुला तक 48.4 कि0 मी0 लम्बा महुला गढ़वल तटबन्ध बना हुआ है जो क्षेत्र को बाढ़ से सुरक्षा प्रदान करता है । शासन की नीति के अनुसार नदी की धारा व बांध के बीच के क्षेत्र में कटान रोकने के लिए कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है ।

श्री पंचानन राय–

मान्यवर, इस प्रश्न का उत्तर पढ़ने से स्पष्ट हो गया कि व्यवस्था बदल गयी है । मैं मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, उन्होंने स्वीकार किया है कि 150 हेक्टेयर जमीन और 6 गांवों के 69 घर कट गये हैं । मेरी निजी जानकारी है कि श्री राम नैन मिश्र, राम करन मिश्र, राम सूरत यादव, श्री कौशल यादव के मकान पक्के थे जिनकी लागत 2 लाख से ज्यादा की थी वह नष्ट हो गये हैं । बंधे और नदी के

नोट :–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

बीच 135 गांव हैं जो हजारों वर्षों से बसे हैं । बंधा तो 1957 में बना है । करोड़ों रुपया सरकार ने नदी की धारा से कटाव रोकने के लिए खर्च किये हैं । लेकिन अब शासन की नीति बन गयी है कि इन 135 गांवों को भगवान के भरोसे छोड़ कर नदी की धारा में विलीन होने दिया जाएगा । इससे लगता है कि व्यवस्था बदल गयी है । सरकार यह कहती है कि हम गांवों की तरफ जाना चाहते हैं और गांव नदी की धारा में विलीन हो रहे हैं और मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं कि कटाव रोकने की कोई नीति नहीं है । मान्यवर, मैं स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं कि पिछले वर्षों जो घाघरा नदी के कटाव को रोकने के लिए करोड़ों रुपये खर्च हुए हैं और आज जो कटाव हो रहा है उसको रोकने के लिए सरकार क्यों कोई योजना नहीं बनाना चाहती है तथा इन गांवों के जो लोग कटान से प्रभावित हुए हैं उनको राहत देने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है ?

कुंवर रेवती रमण सिंह उर्फ मणि जी–

मान्यवर, माननीय सदस्य शिक्षक दल के नेता होते थे ।

श्री पंचानन राय–

अभी हूं ।

कुंवर रेवती रमण सिंह उर्फ मणि जी–

इस प्रदेश को उन्होंने बहुत दिशा भी दी है और आज प्रदेश में शिक्षा की क्या हालत है उसमें उन्होंने बड़ी मदद की है

मान्यवर, आज जो हमें सूचना है, मेरी सूचना के मुताबिक बीबीपुर गांव में 36 घर कटे, इब्राहिमपुर में 9 घर कटे, आराजी खोखरजोत शेखनादिर में 4 घर कटे, रोशनगंज में 10 घर कटे, उर्दिहा में 8 घर कटे और बसन्तपुर में 2 घर कटे। हमारी सूचना के मुताबिक 69 घरों को बाढ़ ने प्रभावित किया और उन घरों को नष्ट किया और यह जो माननीय सदस्य कह रहे हैं कि 135 गांव प्रभावित हुए, मेरी सूचना के मुताबिक यह सही नहीं है। अगर माननीय सदस्य उन गांवों की लिस्ट लिखकर दे दें कि कौन-कौन से गांव प्रभावित हुए हैं, तो मैं उसको दिखवा लूंगा। माननीय सदस्य शिक्षक हैं, क्लास में तो आप सुनते ही हैं, मेरी भी बात को सुन लें। हमने वहां पर उन गांवों को तकनीकी दृष्टि से दिखलवाया है कि किसी भी तरह से वहां की बाढ़ की विभीषिका को रोका जा सकता है, तो हमें बताया गया कि वह सम्भव नहीं है क्योंकि वहां पर नदी की धारा इतनी तेज है कि वहां पर कोई दूसरा बांध बनाना सम्भव नहीं है। यह मैंने विचार करवा लिया है और इस पर मन्थन करवा लिया है।

श्री पंचानन राय–

मान्यवर, बांध बनाने का सवाल नहीं है, बल्कि कटाव रोकने के लिए ठोकर बनाना होता है। मेरा सवाल ठोकर बनाने का है। जिन गांवों को मंत्री जी ने पढ़ा उसका सवाल नहीं है। मान्यवर, हरैया ब्लाक में कोई गांव ही नहीं है। मेरी निश्चित जानकारी है कि तीन गांव–रोशनगंज, उर्दिहा तथा हैदराबाद में कटाव हो रहा है। रोशनगंज में सर्वश्री राम नयन मिश्र, राम करन मिश्र, राम सूरत यादव तथा किशोर यादव के मकान पक्के थे, शेष के लगभग 150 मकान कच्चे थे।

श्री अध्यक्ष–

मंत्री जी ने अभी यह कहा कि माननीय सदस्य उन गांवों की लिस्ट लिखकर दे दें कि कौन-कौन से गांव प्रभावित हुए हैं वह उसको दिखलवा लेंगे, उसकी सूची आप माननीय मंत्री जी को दे दें।

श्री पंचानन राय–

मान्यवर, नदी की दिशा बदल गयी है। तकनीकी दृष्टि का जहां तक सवाल है, कोई वहां पर गया नहीं है। मान्यवर, दफ्तर से जवाब बनकर चला आया होगा, वही माननीय मंत्री ने पढ़ दिया।

श्री अध्यक्ष–

मैं चाहूंगा, मंत्री जी उन्हें संतुष्ट कर दें।

कुंवर रेवती रमण सिंह उर्फ मणि जी–

माननीय सदस्य हमसे मिल लें, मैं अधिकारियों को बुलाकर विचार कर लूंगा।

## गांवों में नये कुटीर एवं ग्राम उद्योग लगाने का प्रस्ताव

*4–श्री राम स्वरूप वर्मा–

उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या सरकार ने गांवों में कुटीर उद्योग का जाल बिछाने के लिए कोई योजना बनायी है ताकि बेकार नौजवान काम में लग सकें और प्रदेश में आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन आवश्यकतानुसार हो सके? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

कुंवर रेवती रमण सिंह उर्फ मणि जी–

सरकार कृषि एवं ग्रामीण शिल्प पर आधारित उद्योगों को अधिकाधिक समर्थन देने तथा उनके माध्यम से रोजगार के अवसर सृजित करने को कटिबद्ध है । इस उद्देश्य से प्रदेश सरकार का 8वीं पंचवर्षीय योजना में 5 लाख नए कुटीर एवं ग्राम उद्योग लगाने का प्रस्ताव है।

श्री राम स्वरूप वर्मा–

मान्यवर, यह योजना कब तक बनकर तैयार हो जायेगी?

कुंवर रेवती रमण सिंह उर्फ मणि जी–

मान्यवर, योजना बन रही है । भारत सरकार और योजना आयोग से बातचीत चल रही है। जैसे ही बातचीत पूरी हो जायगी, वैसे ही अगले बजट सत्र में इसका प्रस्ताव लाया जायगा।

(तारांकित प्रश्न संख्या–5 पुकारे जाने तथा श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

मैंने अब प्रश्न संख्या–5 पुकार लिया है। आप बैठें।

## बी0 आर0 डी0 मेडिकल कालेज गोरखपुर में डायलिसिस की सुविधा हेतु डी-आयोनाइजर मशीन का क्रय

*5–श्री शिव प्रताप शुक्ल–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बी0 आर0 डी0 मेडिकल कालेज गोरखपुर में डायलिसिस की व्यवस्था कब से की गई है? क्या यह सही है कि आटोमेटिक इनलाइजर मशीन के अभाव में डायलेसिस की सुविधा अब तक एक भी मरीज नहीं उठा सका है जब कि गत एक वर्ष से अधिक समय से लाखों रुपये की मशीन खरीद कर रखी गई है? यदि हां, तो इस लापरवाही के लिए कौन उत्तरदायी है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है? क्या सरकार किडनी की बीमारी से ग्रस्त लोगों की सुविधा के लिए आटोमेटिक इनलाइजर्स की तुरन्त व्यवस्था करायेगी? यदि हां, तो कब तक?

श्री मुख्तार अनीस–

बी0 आर0 डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर में डायलिसिस की मशीन दिनांक 9 अक्तूबर, 87 को प्राप्त हुई।

डी–आयोनाइजर मशीन के अभाव में डायलिसिस की सुविधा नहीं प्रदान की जा सकी।

डी–आयोनाइजर मशीन के क्रय हेतु दिनांक 7 अक्टूबर, 87, 21 मई, 88, 21 दिसम्बर, 88 को निविदायें आमंत्रित की गयी थीं परन्तु किसी फर्म से निविदायें प्राप्त न होने पर पुनः दिनांक 17 जुलाई, 89 को निविदायें आमंत्रित की गयीं जिसके विरुद्ध मेसर्स यूनिक मार्केटिंग सर्विस से प्राप्त निविदा नियमानुसार उपयुक्त पाई गई। फर्म से मशीन क्रय करने के आर्डर दे दिये गये हैं। अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का औचित्य नहीं है।

फर्म द्वारा डी-आयोनाइजर मशीन उपलब्ध हो जाने पर गुर्दे के रोगियों को शीघ्र इसकी सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी।

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि डायलिसिस मशीन के साथ ही उसी का एक पार्ट डी0–आयोनाइजर मशीन है तो ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं की गयी कि डायलिसिस मशीन के साथ ही उसकी भी व्यवस्था की जाती और वह मशीन साथ ही आ जाती?

(व्यवधान)

श्री मुख्तार अनीस–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है वह बहुत ही उपयोगी है। पहली बात तो यह है कि हमारे पास उस समय टेक्नीशियन का अभाव था। दूसरी बात यह है कि उसकी हम लोगों ने जो व्यवस्था की थी आप स्वयं देखें तीन बार हम लोगों ने टेण्डर किया लेकिन हमको टेण्डर प्राप्त नहीं हुआ, टेण्डर अब हमको प्राप्त हुआ है, फर्म मिल गयी है उसको बहुत ही शीघ्र खरीद लेंगे। इस प्रकार संकट दूर हो जायेगा।

(व्यवधान)

डाक्टर दिनेश जौहरी–

मान्यवर, यह ढाई वर्ष पहले लगभग डायलिसिस लगी यहां पर, स्वास्थ्य मंत्री जी ने घोषणा भी की कि गोरखपुर में डायलिसिस हो रही है लेकिन आज हमें जानकर बड़ा खेद हो रहा है कि ढाई वर्ष बाद भी डायलिसिस नहीं हो रही है। डी-आयोनाइजर मशीन जो कि पहले ली जानी चाहिए, नहीं खरीदी गयी। इससे एक तो डायलिसिस मशीन खरीदी गयी और उसके रुपयों का सदुपयोग नहीं हुआ। डी-आयोनाइजर के तीन दफे टेन्डर मांगे गये चौथी दफा टेन्डर मिला (व्यवधान) क्या माननीय मंत्री जी सुनिश्चित करेंगे कि एक माह के अंदर डायलिसिस मशीन चालू हो जायेगी गोरखपुर के अंदर?

श्री मुख्तार अनीस–

मान्यवर, जो पुरानी व्यवस्था रही है जिसके हम वारिस हैं और यह उसी का चमत्कार है। मैं आपको आश्वासन देता हूं और पूरा विश्वास दिलाता हूं कि इस मामले को हम लोग देखेंगे और जल्द से जल्द समस्या का समाधान करेंगे।

**मुजफ्फरनगर के तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता श्री सुरेश चन्द्र गिरि के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं से संबंधित शिकायतों एवं उस पर कृत कार्यवाही**

*6–श्री राज किशोर सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सी0 पी0 आई0 एम0 के राज्य सभा के नेता समर मुकर्जी का उनको सम्बोधित पत्र दिनांक 14-12-88 पत्रांक-एस0 एम0/5963/एफ0/56/88, जो मुजफ्फरनगर खण्ड गंगा नहर, मुजफ्फरनगर के पूर्व अधि0 अभियंता श्री सुरेश चन्द्र गिरि द्वारा किये गये विभागीय घोटालों के सम्बन्ध में था, प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उसमें वर्णित तथ्य क्या थे? सम्बन्धित व्यक्ति के विरुद्ध सरकार ने कोई कड़ी कार्यवाही की? यदि नहीं, तो विलम्ब का कारण क्या है?

कुंवर रेवती रमण सिंह उर्फ मौण जी–

तत्कालीन मुख्य मंत्री जी को सम्बोधित प्रश्नगत पत्र प्राप्त हुआ है

प्रश्नगत पत्र के साथ श्री नरेश कुमार शर्मा, 212-इन्दिरा कालोनी, सरवट रोड, मुजफ्फरनगर का शिकायती पत्र दिनांक 22-9-88 संलग्नकों सहित प्राप्त हुआ था जिसमें गंगा नहर खण्ड, मुजफ्फरनगर के तत्कालीन अधिशासी अभियंता (प्रभारी सहायक अभियंता) श्री सुरेश चन्द्र गिरि के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं से संबंधित शिकायतों पर कार्यवाही नहीं हो पाने की दशा में सी0 बी0 आई0 अथवा सतर्कता अधिष्ठान से जांच कराये जाने की मांग की गई थी।

प्रश्नगत अधिकारी श्री गिरि के विरुद्ध सभी शिकायतों की जांच सिंचाई विभाग के प्रमुख अभियंता तथा मुख्य प्राविधिक परीक्षक के माध्यम से कराने का निर्णय लिया गया था। प्रमुख अभियंता की जांच आख्या अभी प्रतीक्षित है। आख्या प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री राज किशोर सिंह–

यह बहुत ही पुराना मामला है और भ्रष्टाचारी अभियंता को सरकार ने हटाया नहीं । यह जो जवाब मंत्री जी ने दिया है, अपूर्ण है । मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि यह जांच का निर्णय कब लिया गया और जांच प्रमुख अभियंता और प्राविधिक अधिकारी जो हैं, वह कर रहे हैं या कौन कर रहा है ?

कुंवर रेवती रमण सिंह उर्फ मणि जी–

मान्यवर, जांच का आदेश 3-11-87 को दिया गया जो प्रमुख अभियंता और प्राविधिक अधिकारी कर रहे हैं । मा0 सदस्य, वाराणसी श्री राज किशोर सिंह का कहना सही है कि इसमें विलम्ब हुआ है, लेकिन अब इसमें पहले ही जल्द निर्णय लेकर त्वरित गति से कार्यवाही करेंगे ।

*7–श्री हरद्वार दुबे–

[2रे शुक्रवार में ता0 प्र0 सं0 10 के अंतर्गत स्थानान्तरित]

*8–श्री निरवेन्द्र कुमार–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

## उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जनपदों में चिकित्सकों के स्वीकृत पद एवं रिक्त पदों को भरे जाने की कार्यवाही

*9–श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में पर्वतीय जनपदों में कितने चिकित्सकों के पद स्वीकृत हैं और इनमें कितने पदों पर अंशकालीन तथा कितने पदों पर स्थाई चिकित्सकों की नियुक्तियां हैं तथा शेष रिक्त पदों पर कब तक नियुक्तियां किये जाने की सम्भावना है और अंशकालीन चिकित्सकों का स्थायीकरण कब तक किय जाने की सम्भावता है ? क्या यह भी सही है कि अंशकालीन चिकित्सकों को फार्मासिस्टों के प्रशासनिक नियंत्रण में रखा गया है ? यदि हां, तो इसका औचित्य क्या है ?

श्री मुख्तार अनीस–

उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जनपदों में चिकित्सकों के कुल 1639 पद स्वीकृत हैं । स्वीकृत पदों के समक्ष 753 नियमित चिकित्सक एवं 549 अंशकालिक चिकित्सक कार्यरत हैं । शेष रिक्त पदों पर नियमित चयन/नियुक्तियों हेतु अधियाचन लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को भेजे जा चुके हैं । संस्तुतियां प्रतीक्षित हैं । भारी संख्या में विद्यमान रिक्तियों को भरने की तात्कालिक आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए एलोपैथिक चिकित्साधिकारी के रिक्त पदों पर तदर्थ चयन की कार्यवाही भी प्रगति पर है । आयोग से संस्तुतियां प्राप्त होने अथवा तदर्थ चयन के फलस्वरूप अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर ही चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरा जाना सम्भव होगा ।

नियुक्ति की शर्तों के अनुसार अंशकालिक चिकित्सकों की नियुक्तियां राजकीय सेवा की परिभाषा में नहीं आती हैं, अतः उनके स्थायीकरण का प्रश्न नहीं उठता है ।

चूंकि अंशकालिक चिकित्सक राजकीय सेवकों की परिभाषा में नहीं आते हैं, अतः उन्हें राजकीय चिकित्सालयों एवं राजकीय सम्पत्ति का प्रभार नहीं सौंपा गया है। यह कार्यभार फार्मेसिस्टों को दिया गया है।

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि पर्वतीय क्षेत्र में चिकित्सकों के कुल स्वीकृत पद 1639 हैं। इनमें से 753 नियमित और 549 अंशकालिक हैं। इस प्रकार अभी भी 104 चिकित्सकों के पद पर्वतीय क्षेत्र में खाली हैं। पर्वतीय क्षेत्र में डाक्टरों की कमी को देखते हुए और इन अंशकालिक चिकित्सकों के भविष्य को देखते हुए क्या मंत्री जी तदर्थ नियुक्तियों की तुरन्त कोई व्यवस्था करेंगे ?

श्री मुख्तार अनीस–

मान्यवर, तदर्थ नियुक्तियों के संबंध में हम लोग विचार कर रहे हैं और आज ही इस पर कार्यवाही की जायगी।

श्री लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानकारी करना चाहूंगा कि क्या माननीय मंत्री जी सदन को आश्वासन देंगे कि जब एलोपैथिक, आयुर्वेदिक और, यूनानी चिकित्सकों का वेतनमान समान है, तो दैनिक वेतन पर रखे जाने वाले अंशकालिक एलोपैथिक चिकित्सकों को 75 रुपये और आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सकों को 60 रुपये प्रतिदिन दिये जाने का क्या कारण है, इस अंतर का क्या कारण है और क्या माननीय मंत्री जी इस अन्तर को समाप्त करने का आश्वासन देंगे ?

श्री मुख्तार अनीस–

मान्यवर, ऐसा कोई विचार नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नों का समय समाप्त हो गया।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, प्रश्नों के बारे में व्यवस्था का सवाल है।

श्री कल्यान सिंह–

मान्यवर, एक घंटा बीस मिनट का समय होता है, प्रश्नों के बारे में। इसमें मुझे एक सवाल करना है।

पिछली सरकार ने एक परिपाटी शुरू कर दी थी अंशकालिक नियुक्ति की, अंशकालिक कूप चालक, अंशकालिक शिक्षक, अंशकालिक चिकित्सक, यह परिपाटी जनहित में उचित नहीं है। अब नयी सरकार आयी है, मैं कहना चाहता हूं कि यह जो अंशकालिक नियुक्तियां हो रही हैं, यह उचित नहीं है। यह जो सवाल है, मेरा भी अनुभव है, मैं भी स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं, यह जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, यह मेरा कोई आक्षेप नहीं है, अनुभव है कि नियुक्तियों के लिए जो स्वीकृति और अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए यथा समय वह प्राप्त नहीं होता है। हजारों की संख्या में अस्पताल बिना डाक्टरों के रहते हैं। कहीं डाक्टरों को अस्पताल नहीं मिल रहे हैं और कहीं अस्पतालों को

डाक्टर नहीं मिल रहे हैं । क्या मंत्री जी इस नीतिगत प्रश्न पर गम्भीरता से विचार करेंगे कि पब्लिक सर्विस कमीशन से डाक्टरों की नियुक्ति के बजाय अलग से एक स्वास्थ्य आयोग का गठन करेंगे ताकि वह स्वास्थ्य आयोग स्वयं आवश्यकतानुसार डाक्टरों का चयन करें और यथासमय हर अस्पताल में डाक्टर पहुंच जायें ?

श्री मुख्तार अनीस–

मान्यवर, हमारे विभाग में बहुत दिनों से डाक्टरों की तरक्की के मामले रुके हुए थे, उनकी सेवाकालों के बहुत से मामले रुके हुए थे । इन सब चीजों को हम लोग निपटा रहे हैं ।

श्री कल्यान सिंह–

यह मेरा प्रश्न नहीं है ।

श्री मुख्तार अनीस–

मान्यवर, पूरी बात सुन लें । यह जो तरक्की वाले मामले रुके थे, उनको निपटा रहे हैं । तदर्थ नियुक्तियों के बारे में विचार करना शुरू कर दिया है । हम लोग बहुत ही जल्दी कमेटी बनाने जा रहे हैं । करीब 6 हजार लोगों ने दरख्वास्तें दे रखी हैं । आप जो कह रहे हैं, उसमें इन सबका समाधान होगा ।

श्री कल्यान सिंह–

मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है, मेरा यह प्रश्न है ही नहीं ।

श्री अध्यक्ष–

इसका समय समाप्त हो गया है और अब मैं अनुमति नहीं दूंगा । मैं मद संख्या 3 ले रहा हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी को बुला रहा हूं ।

श्री कल्यान सिंह–

माननीय मंत्री जी आयोग की बाबत बता दें जो गठन की बात है ?

श्री मुख्तार अनीस–

इसके बारे में अभी कोई विचार नहीं किया गया है ।

## अतारांकित प्रश्न

**जनपद आजमगढ़ के हरैया एवं बिलरियागंज विकास खण्ड में राजकीय नलकूपों की संख्या, संबंधित कर्मचारियों का वेतन एवं नलकूपों के रख-रखाव पर व्यय धनराशि का विवरण**

1–श्री पंचानन राय–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले में हरैया विकास खण्ड में कितने राजकीय नलकूप हैं ? प्रत्येक की सिंचन क्षमता एवं कमान्ड एरिया अलग-अलग कितनी है ? दिसम्बर, 1988 से 30 नवम्बर, 1989 के मध्य उनसे अलग-अलग कितनी सिंचाई की गयी ? इस अवधि में अलग-अलग सिंचाई से कितनी आय हुई है तथा कर्मचारियों के वेतन, इसके रख रखाव पर कितना-कितना व्यय हुआ है ?

---

नोट :–तारांकित प्रश्न संख्या–9 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हो गया ।

कुंवर रेवती रमण सिंह उर्फ मणि जी–

आजमगढ़ जनपद के हरैया विकास खण्ड में 26 राजकीय नलकूप हैं । (विश्व बैंक पोषित नलकूपों को छोड़कर)

संलग्न विवरण के अनुसार ।

हरैया विकास खण्ड से संबंधित कर्मचारियों के वेतन एवं नलकूपों के रख रखाव पर क्रमशः रुपया तीन लाख अड़सठ हजार चार सौ एवं एक लाख इकतालिस हजार एक सौ चौवन रुपये मात्र व्यय हुआ, जिसमें विद्युत ऊर्जा व्यय सम्मिलित नहीं है ।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 52 पर)

2–श्री पंचायन राय–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले में बिलरियागंज विकास खण्ड में कितने राजकीय नलकूप हैं ? प्रत्येक की सिंचन क्षमता एवं कमान्डर एरिया अलग-अलग कितनी है ? दिसम्बर, 1988 से 30 नवम्बर, 1989 के मध्य उनसे अलग-अलग कितनी सिंचाई की गयी ? इस अवधि में अलग-अलग सिंचाई से कितनी आय हुई है तथा कर्मचारियों के वेतन एवं रख रखाव पर कितना व्यय हुआ ?

कुंवर रेवती रमण सिंह उर्फ मणि जी–

आजमगढ़ जनपद के बिलरियागंज विकास खण्ड में 30 राजकीय नलकूप हैं ।

संलग्न विवरण के अनुसार ।

बिलरियागंज विकास खण्ड के [illegible] कर्मचारियों के वेतन एवं [illegible] के रख-रखाव पर क्रमशः 6,27,000 रुपये (रुपये छ लाख सत्ताइस हजार मात्र) एवं रु0 2,11,731 (रुपया दो लाख ग्यारह हजार सात सौ इकतीस मात्र) व्यय हुआ जिसमें ऊर्जा व्यय सम्मिलित नहीं है ।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 53 पर)

आजमगढ़ जिले के आजमगढ़ विकास खण्ड में टौंस नदी पर बांध का निर्माण

3–श्री पंचानन राय–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के आजमगढ़ विकास खण्ड में टौंस नदी के उत्तरी तट पर तटबन्ध बनाये जाने का कोई सुझाव वर्ष 1988-89 में विभागीय अधिकारियों एवं शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

कुंवर रेवती रमण सिंह उर्फ मणि जी–

जी हां,

आजमगढ़ नगर के सुरक्षा हेतु टौंस नदी के उत्तरी तटपर 6.55 कि0मी0 लम्बा बांध तथा 2.43 किमी0 लम्बा एडवांस बांध का निर्माण किया जा चुका है । अन्य किसी और तटबन्ध को बनाने की कोई योजना नहीं बनी है ।

**जिला सीतापुर के होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों के नये वेतनमान के अवशेषों के भुगतान की मांग**

4–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या चिकित्सा मंत्री को जानकारी है कि जिला सीतापुर में ऐसे कौन-कौन चिकित्सा-

धिकारी (होम्योपैथिक-डिस्पेन्सरियों के) हैं, जिनके नये वेतनमान का अवशेष अभी उन्हें नहीं दिया गया है ? उक्त भुगतान न करने का क्या कारण है तथा भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री मुख्तार अनीस–

जिला सीतापुर के निम्नांकित होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों को नये वेतनमान के अवशेषों का भुगतान अभी नहीं किया गया है :–

1–डाक्टर यू0 पी0 सिंह
2–डाक्टर बी0 डी0 दुबे
3–डाक्टर प्रबोध कुमार
4–डाक्टर पी0 चन्द्रा
5–डाक्टर एम0 ए0 कुरैशी
6–डाक्टर अखिलेश कुमार
7–डाक्टर डी0 पी0 गुप्ता
8–डाक्टर जे0 पी0 दीक्षित

औपचारिकताओं की पूर्ति करवाने के उपरान्त भुगतान शीघ्र कर दिया जायगा ।

**वाराणसी के ग्राम कामापुर के पब्लिक नलकूप के मोटरों की मरम्मत एवं बिजली व्यवस्था**

5–श्री ऊदल–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पब्लिक नलकूप वाराणसी के अंतर्गत आमापुर, थरी, नागापुर, चेहरा ब्लाक पिंडरा की मोटरें जल गयी हैं ? दिसम्बर, 1989 के प्रथम सप्ताह तक वहां मोटर न लगाए जाने का क्या कारण है ?

कुंवर रेवती रमण सिंह उर्फ मणि जी–

जी हां ।

ग्राम आमापुर के नाम से कोई नलकूप नहीं है । नलकूप ग्राम कामापुर में है ।

मोटरों की मरम्मत की जा रही थी ।

6–श्री ऊदल–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पब्लिक नलकूप वाराणसी का वर्कशाप राजा तालाब में है जिसमें आज तक बिजली की व्यवस्था नहीं हो सकी है ? क्या सरकार जल निगम के फीडर से उक्त वर्कशाप को बिजली देने की व्यवस्था करायेगी ?

कुंवर रेवती रमण सिंह उर्फ मणि जी–

जी हां ।

जी नहीं । कार्यशाला को ग्रामीण फीडर से जोड़ा गया है ।

यह मामला विद्युत विभाग से संबंधित है ।

**प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दोमुहवा, सुल्तानपुर का उच्चीकरण एवं आपातकालीन उपचार की व्यवस्था**

7—श्री अकबर हुसैन बाबर—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भदैया विकास खण्ड स्थित प्रा0 स्वास्थ्य केन्द्र दोमुहवा सुल्तानपुर में कितने पुरुष और महिला डाक्टर तथा कर्मचारी हैं ? क्या सरकार उक्त चिकित्सालय का उच्चीकरण तथा एमरजेंसी केस के समुचित उपचार की व्यवस्था जनहित में करायेंगी ? यदि हां, तो कब तक ? क्या स्वास्थ्य मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दोमुहवा विकास खण्ड भदैया सुल्तानपुर में विगत तीन वर्षों में मरीजों के उपचार हेतु जिला अस्पताल व शासन स्तर से कितनी-कितनी दवायें उक्त प्रा0 स्वा0 केन्द्र को उपलब्ध करायी गयी हैं ?

श्री मुख्तार अनीस—

प्रश्नगत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में दो चिकित्साधिकारी (पुरूष) तथा 54 अन्य कर्मचारी कार्यरत हैं । उक्त केन्द्र में महिला चिकित्सक का पद स्वीकृत नहीं है ।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का उच्चीकरण जिला योजना का विषय है । इस सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही जिला योजना में परिव्यय उपलब्ध करायें जाने तथा जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरान्त ही की जाती है । तद्-नुसार जिले से प्रस्ताव प्राप्त होने पर ही मामले में विचार किया जायेगा ।

उक्त केन्द्र में आपातकालीन रोगियों की समुचित उपचार की व्यवस्था उपलब्ध है ।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दो मुहहवा में वर्ष 1986-87, 1987-88 तथा 1988-89 में निदेशालय स्तर से क्रमशः रु0 50,902.07 रु0 10,430.36 एवं रु0 29,129.12 तथा जिला स्तर से क्रमशः रु0 41,607.45 रु0 18,008.50 तथा रु0 24,737.57 की औषधियां उपलब्ध कराई गई हैं।

**जौनपुर सिंचाई खण्ड के लछिमनपुर माइनर तथा दिनदासपुर माइनरों की पानी निकासी हेतु खारजा बनवाने की मांग**

8—श्री ऊदल—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लछिमनपुर माइनर तथा दिनदासपुर माइनर जो सिंचाई खण्ड जौनपुर की है उसका खारजा बनाकर अब तक क्रमशः महाराजकोट पिंडरा ड्रेन में पिंडराई के पास तथा छतावं नाले में हमीरापुर के पास न गिराने का क्या कारण है ? क्या यह सही है कि खारजा न बनाने से सैकड़ों बीघा मच्छाताल में तथा दिनदासपुर, सहमलपुर, छतांव में पानी भर जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर जल्द से जल्द खारजा बनवाने की कार्यवाही करेगी ?

कुंवर रेवती रमण सिंह उर्फ मणि जी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

**एस0 एन0 अस्पताल आगरा में ड्रग एक्ट की अवहेलना कर डा0 एस0 शर्मा की उपाधीक्षक पद पर नियुक्ति**

9—श्री किशन गोपाल, श्री लटूरी सिंह तथा श्री श्याम सुन्दर शर्मा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि शासन एवं महानिदेशक स्वास्थ्य द्वारा ड्रग एक्ट के अनुसार औषधि एवं सर्जिकल स्टोर का चार्ज लिपिक/स्टोर कीपर से हटाकर फार्मासिस्ट को सौंपे जाने के आदेश जारी किए गए हैं ? यदि हां, तो क्या एस0 एन0 हास्पिटल, आगरा में इस पर अमल किया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या आदेशों की अवहेलना करने के लिए अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुख्तार अनीस—

जी हां ।

एस0 एन0 अस्पताल, आगरा में डा0 एस0 शर्मा, फार्मेसिस्ट औषधि एवं सर्जिकल स्टोर में उप अधीक्षक इंचार्ज स्टोर के नियंत्रण में कार्य कर रहे हैं ।

शासनादेश के अनुपालन की विस्तृत एवं अद्यतन स्थिति ज्ञात की जा रही है, जिसकी प्राप्ति के उपरान्त यथाआवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

**जिला वाराणसी के विकास खण्ड बड़ा गांव में पब्लिक नलकूप लगाये जाने की मांग**

10—श्री जखल—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव सहिसापुर में दुर्जनपुर, हसनपुर, खरीरवां, बीलिया, पनेर, कोइलार, चिलौवा, रतनपुर, बेहचनपुर, जगुआ, कोइर्ई, साइपुर, बहुपरा, बेलवां, भिखारीपुर, लखसीपुर, कुसमूर्वी व्लाक बड़ा गांव जिला वाराणसी के गांवों का सर्वे पब्लिक नलकूप लगाने के लिए किया गया था और उसका नक्शा भी बना लिया गया था ? यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त गांवों का कलस्टर तैयार करवाकर पब्लिक नलकूप लगाने की व्यवस्था करेगी ?

कुंवर रेवती रमण सिंह उर्फ मणि जी—

जी हां, परन्तु बड़ागांव विकास खण्ड का सम्पूर्ण क्षेत्र शारदा सहायक परियोजना की धावलपुर रजवाहा के अंतर्गत होने के कारण कोई पब्लिक नलकूप लगाया जाना प्रस्तावित नहीं है ।

**जनपद फैजाबाद में सस्ते गल्ले की दुकानों के आवंटन में की गयी धांधली संबंधी शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही**

11—श्री अकबर हुसैन बाबर—

क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 10-8-89 जो मण्डलायुक्त को सम्बोधित है और जिसमें ग्राम लोरपुर तार्जन जनपद फैजाबाद में सस्ते गल्ले की दुकानों के आवंटन में धांधली की शिकायत की गयी है, प्राप्त हो गया है ? यदि हां, तो वर्णित आरोपों पर क्या कार्यवाही की गयी ?

खाद्य तथा रसद मंत्री (श्री दिवाकर विक्रम सिंह)--

जी हां ।

शिकायती पत्र की जांच आयुक्त, फैजाबाद ने की ।

माननीय प्रश्नकर्ता की शिकायत कि युवक मंगल दल लोरपुर ताजन व्यवसायिक संस्था नहीं है, सही पाये जाने के कारण उसके पक्ष में की गई नियुक्ति रोक दी गई तथा जिलाधिकारी को निर्देशित किया गया है कि वे वर्तमान शासनादेश संख्या-एफ-7570/29-खाद्य-6-9 (34)/89 दिनांक 23-9-89 के अनुसार इस गांव में दुकान की नियुक्ति हेतु कार्यवाही करें ।

शिकायती पत्र में वर्णित अन्य आरोप सही नहीं पाये गये ।

**जनपद फैजाबाद के ग्राम चन्दनपारा में पुलिया निर्माण एवं ग्राम मोहीउद्दीनपुर में माइनर खुदाई करवाने की मांग**

12—श्री अकबर हुसैन बाबर—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 16-3-88 व 20-5-88 जो कि ग्राम सभा चन्दन पारा में पुलिया का निर्माण तथा ग्राम मोहीउद्दीनपुर जनपद फैजाबाद में माइनर की खुदाई कराने के संबंध में है तत्कालीन सिंचाई मंत्री को मिला है ? यदि हां, तो क्या पुलिया का निर्माण तथा माईनर की खोदाई का कार्य पूरा हो गया है ? यदि नहीं, तो इसके लिए कौन अधिकारी दोषी है तथा उसके विरुद्ध शासन ने क्या कार्यवाही की ?

कुंवर रेवती रमण सिंह उर्फ मणि जी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

**जनपद गोण्डा के बेसिक हेल्थ वर्कर (महिला) प्रशिक्षण के चयन में किये गये घपले की जांच एवं क्षमता से अधिक भर्ती छात्राओं को छात्रवृत्ति का भुगतान**

13—श्री उदल—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी जनपद गोण्डा द्वारा जनवरी, 1989 में बेसिक हेल्थ वर्कर (महिला) प्रशिक्षण हेतु चयन कर अभ्यर्थियों को प्रदेश के अन्य प्रशिक्षण केन्द्रों पर भेजा गया था ? यदि हां, तो क्या चयन में घपला किए जाने की शिकायत की जांच निदेशालय द्वारा कराई गई थी ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट तथा उस पर अब तक कृत कार्यवाही का विवरण क्या है ? क्या यह सच है कि शिकायत के बावजूद जुलाई 1989 सत्र में पुनः चयन करके अनेक प्रशिक्षण केन्द्रों पर उक्त अधिकारी द्वारा उक्त पद के लिए अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण हेतु भेजा गया है ? यदि हां, तो वह कौन-कौन से जिले हैं ? किन परिस्थितियों में इस प्रकार की पुनः अनियमितता करते हुए चयन करके प्रशिक्षण हेतु दूसरे जिलों में भेजा गया है ?

श्री मुख्तार अनीस—

जी हां ।

शिकायत की जांच अपर निदेशक फैजाबाद द्वारा कराई जा रही है । जांच आख्या प्रतीक्षित है ।

जी हां । कुछ प्रशिक्षार्थियों को जनपद मेरठ, गाजियाबाद व बिजनौर भेजा गया था ।

जांच आख्या के अभाव में प्रशिक्षण कार्यक्रम को रोकना उचित नहीं समझा गया ।

14—श्री उदल—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि क्या गोण्डा जनपद में बेसिक हेल्थ वर्कर के पद रिक्त हैं ? यदि नहीं, तो इस प्रकार प्रशिक्षण हेतु चयन किस उद्देश्य से कराया गया तथा मण्डल के दूसरे जनपदों में प्रशिक्षण हेतु किस नियम के अंतर्गत भेजा गया ? इसके लिए कौन अधिकारी उत्तरदायी है ? क्या जनपद गोण्डा में इस समय भर्ती क्षमता से अधिक प्रशिक्षार्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं ? यदि हां, तो उनकी छात्रवृत्ति का भुगतान कहां से किया जा रहा है ?

श्री मुख्तार अनीस—

चयन के समय गोण्डा जनपद के लगभग 100 स्थान रिक्त थे इसके अतिरिक्त भविष्य में 66 नये पद सृजित किए जाने थे । इन पदों को भरने के लिए प्रशिक्षण हेतु चयन किया गया । चूंकि जनपद गोण्डा में प्रशिक्षण केन्द्र की क्षमता से अधिक पद रिक्त होने की संभावना थी इसीलिए अतिरिक्त प्रशिक्षार्थियों को दूसरे जनपदों के प्रशिक्षण केन्द्रों में भेजा गया । वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण वर्ष 1989-90 में जनपद गोण्डा में कोई नये पद अब तक सृजित नहीं हो पाये हैं । इसके लिए कोई अधिकारी दोषी नहीं है ।

गोण्डा जनपद में जुलाई सत्र में 28 अभ्यर्थियों की क्षमता थी । कुछ छात्राओं को उनके अनुरोध पर अन्य जनपदों से स्थानान्तरण किया गया है, इस कारण कुछ छात्राएं भर्ती क्षमता से अधिक हैं । छात्रवृत्ति का भुगतान मुख्य चिकित्सा अधिकारी गोण्डा द्वारा किया जायेगा ।

**जनपद आजमगढ़ के आजमगढ़ विकास खण्ड में राजकीय नलकूपों की संख्या, संबंधित कर्मचारियों का वेतन एवं नलकूपों के रख-रखाव पर व्यय धनराशि का विवरण**

15—श्री पंचानन राय—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले में अजमतगढ़ विकास खण्ड में कितने राजकीय नलकूप हैं ? प्रत्येक की सिंचन क्षमता एवं कमाण्ड एरिया कितनी है ? दिसम्बर, 1988 से 30 नवम्बर, 1989 के मध्य उनसे अलग-अलग कितनी सिंचाई की गयी ? इस अवधि में उक्त सिंचाई से कितनी आय हुई है तथा कर्मचारियों के वेतन एवं नलकूपों के रख-रखाव पर कितना व्यय हुआ है ?

कुंवर रेवती रमण सिंह उर्फ मणि जी—

आजमगढ़ जनपद के अजमतगढ़ विकास खण्ड में 52 राजकीय नलकूप हैं ।

संलग्न विवरण के अनुसार ।

अजमतगढ़ विकास खण्ड में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन एवं नलकूपों के रख-रखाव पर क्रमशः कुल 7,39,560 रुपये (सात लाख उनतालिस हजार पांच सौ साठ) एवं

रु0 2,82,308 (रुपये दो लाख बयासी हजार तीन सौ आठ मात्र) व्यय हुआ जिसमें विद्युत ऊर्जा सम्मिलित नहीं है ।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ संख्या 55 पर)

**जनपद गोण्डा के मुख्य चिकित्साधिकारी डा0 लक्ष्मण सिंह के स्थानातरण एवं उनके विरुद्ध की गयी शिकायतों की जांच**

16—श्री पंचानन राय—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि डा0 लक्ष्मण सिंह मुख्य चिकित्सा अधिकारी जनपद गोण्डा में वर्तमान पद पर दिनांक 12-8-85 से कार्यरत हैं ? यदि हां, तो सामान्य स्थानान्तरण नीति के अनुसार इन्हें अन्यत्र स्थानान्तरित न किए जाने के क्या कारण हैं ? क्या डा0 सिंह के विरुद्ध अनेकों शिकायतें निदेशालय शासन मंत्री स्तर पर लम्बित हैं जिसकी जांच अभी तक नहीं की गई है ? क्या मंत्री जी डा0 सिंह को अन्यत्र स्थानान्तरण करके इनके विरुद्ध लंबित शिकायतों की जांच करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुख्तार अनीस—

डा0 लक्ष्मण सिंह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गोण्डा के पद पर अगस्त, 1985 से कार्यरत हैं । शासन की सामान्य स्थानान्तरण नीति के अनुसार प्रशासनिक पद धारकों जिनमें मुख्य चिकित्साधिकारी का पद भी सम्मिलित है, को जनपद में कम से कम 3 वर्ष और विशेष परिस्थितियों में अधिकतम 5 वर्ष तक तैनात रखा जा सकता है । डा0 सिंह के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों जांच हेतु उपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, फैजाबाद मण्डल को भेजी जा चुकी है । जांच आख्या प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

**जिला वाराणसी के बड़ा गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण पर विचार**

17—श्री उदल—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एलोपैथिक अस्पताल दादूपुर (धनकलगंज) ब्लाक बड़ा गांव जिला वाराणसी जो 10 वर्ष से प्राइवेट मकान में चल रहा है, की इमारत अब तक न बनाने का क्या कारण है ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर तुरन्त अस्पताल की इमारत बनाने की स्वीकृति देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुख्तार अनीस—

जी हां । प्रश्नगत एलोपैथिक अस्पताल को वर्ष 1986-87 में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में परिवर्तित किया जा चुका है । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण की योजना जिला योजना का अंग है । तद्नुसार जिला योजना में परिव्यय की व्यवस्था होने तथा जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति से तद्विषयक प्रस्ताव प्राप्त होने पर, शासन से प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है । अभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दादूपुर के भवन निर्माण का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है । जिला योजना से उपरोक्तानुसार प्रस्ताव प्राप्त होने पर यथासमय भवन निर्माण की स्वीकृति दिये जाने पर विचार किया जायेगा ।

**महाराजी शिव नारायण मेमोरियल एलोपैथिक अस्पताल रायपुर जमालपुर (जौनपुर) का भवन निर्माण**

18—श्री उदल—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महाराजी शिव नारायण मेमोरियल एलोपैथिक अस्पताल रायपुर जमालपुर-जौनपुर की इमारत हेतु सन् 1986 में दानदाता सर्वजीत सिंह गांव रामपुर, जौनपुर ने सी0 एम0 ओ0 जौनपुर के खाते में तीन लाख रु0 जमा कर दिया है और जमीन भी दिया है ? यदि हां, तो अस्पताल की इमारत अब तक न बनाने का क्या कारण है ? क्या सरकार इस अस्पताल की इमारत को तुरन्त बनवाने का आदेश देगी ?

श्री मुख्तार अनीस—

जी हां, दान स्वरूप दी गयी भूमि के विधिवत हस्तान्तरण हेतु विधीक्षित डीड मुख्य चिकित्साधिकारी, जौनपुर को प्रेषित कर दी गयी है । विधिवत हस्तान्तरण तथा दानस्वरूप दी गयी धनराशि के अतिरिक्त अपेक्षित धनराशि की व्यवस्था हो जाने के उपरान्त ही भवन निर्माण का प्रश्न उठेगा ।

**जिला वाराणसी की पिंडरा ड्रेन एवं मच्छाताल ड्रेन में पुल निर्माण एवं सिंचाई की व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने की मांग**

19—श्री उदल—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मच्छाताल से निकलने वाली महाराजकोट पिंडरा ड्रेन, पिंडरा ड्रेन तथा मच्छाताल ड्रेन, जिला वाराणसी जो सिंचाई खण्ड जौनपुर से संबंधित है उसमें पिडराई (चुप्पेपुर) व मानापुर पिंडरा तथा पिंडरा ड्रेन में उसरा सहित पिंडरा एवं दवेराई तथा मच्छाताला ड्रेन में झंझौर में आवागमन हेतु पक्का पुल बनाने पर विचार करेगी और रेगुलेटर लगाकर सिंचाई की व्यवस्था भी सुनिश्चित करेगी? क्या यह सही है कि उपरोक्त मालों में पुल व रेगुलेटर के लिए जिलाधिकारी, वाराणसी के द्वारा धन उपलब्ध कराया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त धन के खर्च की यथोचित व्यवस्था करायेगी ?

कुंवर रेवती रमण सिंह उर्फ मणि जी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

**आजमगढ़ जिले की सगड़ी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र के भवन निर्माण की कार्यवाही**

20—श्री पंचानन राय—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले की सगड़ी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में कौन-कौन सी न्याय पंचायतें ऐसी हैं जिनमें मातृ शिशु कल्याण केन्द्र नहीं है ? मातृ शिशु कल्याण केन्द्र के निर्माण के संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री मुख्तार अनीस—

आजमगढ़ जिले की सगड़ी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में न्याय पंचायत मुजार, सुरैना, चायेपुर, जमालुद्दीन पट्टी, भैसाड़, सीरही, रोहुआर बेदवली एवं फलाकपुर में मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र नहीं है । यहां मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र के भवन निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है ।

**मथुरा, मांट ब्रांच के तत्कालीन सहायक अभियन्ता श्री उमेश चन्द्र तिवारी का निलम्बन**

21—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तत्कालीन सहायक अभियन्ता (श्री उमेश चन्द्र तिवारी) मांट ब्रांच खण्ड गंगानहर, मथुरा को प्राविधिक कोष्ट के पत्रांक 2243 सी0 टी0 ई0/23 सि0 798 दिनांक 31 जुलाई, 1987 द्वारा एक लाख बीस हजार का अधिक भुगतान व गोलमाल करने के संबंध में शासन को अवगत कराया गया था? यदि हां, तो उक्त पत्र में किन-किन अधिकारियों/कर्मचारियों को निलम्बित करके, प्रशासनिक कार्यवाही करने की संस्तुति की गई थी? क्या इन अधिकारियों/कर्मचारियों को निलम्बित किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों, क्या इन अधिकारियों/कर्मचारियों को निलम्बित करने की कार्यवाही की जायेगी ?

कुंवर रेवती रमण सिंह उर्फ मणि जी—

जी हां ।

जांच आख्या के आधार पर श्री यू0 सी0 तिवारी, सहायक अभियन्ता एवं श्री जे0 पी0 बन्सल, अवर अभियन्ता को निलम्बित कर प्रशासनिक कार्यवाही करने की संस्तुति की गई थी ।

शासनादेश संख्या—69/90-27-सिं-10-387/86, दिनांक 9-1-90 द्वारा सहायक अभियन्ता श्री तिवारी को निलम्बित कर दिया गया है जबकि तत्कालीन अवर अभियन्ता श्री बंसल का निधन दिनांक 23-1-89 को हो गया है । अतः इन्हें निलम्बित किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

22—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि वर्तमान सहायक अभियन्ता (श्री उमेश चन्द्र तिवारी) सिंचाई खण्ड, हाथरस के विरुद्ध सतर्कता अधिष्ठान द्वारा गम्भीर आरोप शासन के पत्रांक 2181/87-23सि0-10-130/84, दिनांक 6 जुलाई, 1987 के अंतर्गत गठित करने हेतु प्रेषित किये गये थे ? यदि हां, तो क्या आरोप पत्र गठित कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्या इनके विरुद्ध आरोप पत्र इनकी सेवा निवृत्ति के पहले दे दिया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? क्या इनकी अकार्यकारी खण्ड में तैनाती की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुंवर रेवती रमण सिंह उर्फ मणि जी—

जी हां ।

जी हां । आरोप-पत्र दिया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

इन्हें शासनादेश सं0—69/90-27-सिं0-10-387/86, दिनांक 9-1 90 द्वारा निलंबित करके अधीक्षण अभियन्ता, ड्रेनेज मण्डल, अलीगढ़ के कार्यालय से सम्बद्ध कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता ।

**जिला वाराणसी के सोनपुरवा माइनर, केथेउली माइनर एवं अकोड़ा माइनरों की खुदाई को शीघ्र पूर्ण कराये जाने की मांग**

23–श्री ऊदल–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बावतपुर राजवाहा से निकलने वाली, सोनपुरवा माइनर, केथेउली माइनर एवं अकोड़ा माइनर, जिला वाराणसी अधूरी खोदकर छोड़ दी गई हैं ? क्या यह सही है कि ये माइनर पांच वर्ष पहले से ही अधूरी हैं किसानों को जमीन का मुआवजा भी नहीं दिया गया है ? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी और अवरोधों को दूर कर माइनरों की खुदाई जल्द पूरी करा देगी ?

कुंवर रेवती रमण सिंह उर्फ मणि जी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

**जिला वाराणसी के ब्लाक सेवापुरी के ग्रामों में ट्यूबवेल लगाकर सिंचाई किये जाने की मांग**

24–श्री ऊदल–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार गांव गैरहां, वारा, महराजपुर बनकट एवं मड़ैयां, गहरपुर ब्लाक सेवापुरी, जिला वाराणसी में सिंचाई हेतु इन गांवों का सर्वेक्षण जल्द से जल्द कराकर ट्यूबवेल लगाकर जल्द से जल्द सिंचाई की व्यवस्था कर देगी ? यदि हां, तो कब तक ?

कुंवर रेवती रमण सिंह उर्फ मणि जी–

इन गांवों का सर्वेक्षण किया जायेगा ।

नलकूपों का निर्माण जनपद प्लान में प्राविधानित होने, सिंचाई सलाहकार समिति एवं नलकूप चयन समिति से अनुमोदन होने पर ही कराना सम्भव होगा ।

**ब्लाक पिंडरा के कतिपय ग्रामों में नलकूप लगवाने की मांग**

25–श्री ऊदल–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पिंडरा पूर्वी, कनकापुर दक्षिणी, रोह दक्षिणी, चिनावनपुर, अमौत, नयेपुर राजपुर, ब्लाक पिंडरा व पूरारघुनाथपुर उत्तरी ब्लाक बड़ागांव जो पब्लिक नलकूप वाराणसी का क्षेत्र है, में क्या सरकार पब्लिक नलकूप लगाने की स्वीकृति प्रदान करेगी?

कुंवर रेवती रमण सिंह उर्फ मणि जी–

जी नहीं ।

विश्व बैंक परियोजना फेज-2 में कोई कलस्टर बनना शेष नहीं है ।

**गोरखपुर महानगर में निर्धारित मानक के अनुसार चीनी वितरण व्यवस्था**

26–श्री शिव प्रताप शुक्ल–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के महानगरों तथा नगरों में प्रतिमाह एक व्यक्ति पर कितनी चीनी सरकारी सस्ते गल्ले से देने का प्राविधान है? क्या सरकार को जानकारी है कि गोरखपुर महानगर के भीतर एक किलो प्रति यूनिट

के स्थान पर 900 ग्राम चीनी ही दी जा रही है? यदि हां, तो इसके लिए कौन दोषी है तथा उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी? क्या सरकार निर्धारित मानक के अनुसार गोरखपुर महानगर में प्रति यूनिट चीनी वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी? यदि हां, तो कब तक?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

उत्तर प्रदेश के महानगरों/नगरों में प्रतिमाह एक व्यक्ति को एक किलोग्राम चीनी सस्ते गल्ले की दुकानों के माध्यम से देने का प्राविधान है ।

जी नहीं । महानगर गोरखपुर में एक किलोग्राम प्रति यूनिट प्रति माह चीनी उपलब्ध करायी जा रही है ।

किसी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता ।

गोरखपुर महानगर में निर्धारित मानक के अनुसार प्रति यूनिट चीनी की वितरण व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है ।

**जनपद आजमगढ़ के स्टेट एलोपैथिक डिस्पेंसरी महुला के भवन निर्माण पर विचार**

27–श्री पंचानन राय–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद के अजमतगढ़ ब्लाक में स्थित स्टेट एलोपैथिक डिस्पेन्सरी महुला के भवन का निर्माण अभी तक नहीं हुआ है? यदि हां, तो इसका निर्माण कब तक करा दिया जायेगा?

श्री मुख्तार अनीस–

जी हां ।

वर्तमान नीति के अनुसार समस्त राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालयों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में परिवर्तित किया जाना है । स्टेट एलोपैथिक डिस्पेन्सरी महुला जनपद आजमगढ़ को अभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में परिवर्तित नहीं किया गया है । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों के निर्माण की योजना जिला योजना का अंग है । जिला योजना में भवन निर्माण हेतु परिव्यय की व्यवस्था तथा जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति से तद्विषयक प्रस्ताव प्राप्त होने पर शासन द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है । अभी एलोपैथिक डिस्पेंसरी महुला का उपरोक्तानुसार प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है । जिला योजना के माध्यम से प्रस्ताव प्राप्त होने पर यथासमय भवन निर्माण की स्वीकृति दिये जाने पर विचार किया जायेगा ।

**जनपद गोण्डा की उतरौला पम्प नहर द्वारा किसानों को सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराये जाने की मांग**

28–श्री अकबर हुसैन बाबर–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उतरौला लिफ्ट पम्प नहर ग्राम भोजपुर, जनपद गोण्डा में कब से निर्माणाधीन है? उस पर अब तक कितना पैसा खर्च हुआ है? किसानों को सिंचाई हेतु पानी कब उपलब्ध कराया जाएगा?

कुंवर रेवती रमण सिंह उर्फ मणि जी–

उतरौला पम्प नहर जनपद गोण्डा में वर्ष 1978-79 से निर्माणाधीन है । माह 12/89 तक लगभग रुपया 5.5 करोड़ व्यय हो चुका है ।

पम्प नहर की वितरण प्रणाली हेतु भूमि प्राप्त करने में अनिश्चितता होने के कारण नहर से सींच हेतु पानी मिलने की अवधि के बारे में वर्तमान में सूचित करना संभव नहीं है।

**जनपद पौड़ी-गढ़वाल में निर्माणाधीन नहरों पर व्यय धनराशि एवं पूर्ण किये जाने की मांग**

29—श्री भारत सिंह रावत—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पौड़ी गढ़वाल जनपद में सन् 80 से आज तक कितनी नहरें अधूरी बनी हैं? उन पर कितना व्यय हुआ है? उनके पूर्ण न होने का क्या कारण है और कब तक ये नहरें पूर्ण हो जायेंगी ?

कुंवर रेवती रमण सिंह उर्फ मणि जी—

पौड़ी गढ़वाल जनपद में सन् 1980 से आज तक 52 नहरें निर्माणाधीन तथा अधूरी हैं। इन पर दिसम्बर 89 तक 183.20 लाख रुपये व्यय हो चुके हैं।

नहरें पूर्ण न होने के मुख्य कारण निम्न रहे हैं:—

1—कार्यक्षेत्र दुर्गम स्थानों पर होने से
2—जिला स्तरीय नियोजन में धन के अनुपातत: कम आवंटन से।
3—वन भूमि अधिकरण में देरी से।
4—कृषकों के मध्य विवाद उत्पन्न होने से।
5—नहर निर्माण के मध्य कच्ची पहाड़ी में चुनाई कार्य बढ़ जाने से।
6—भू-स्खलन में पहाड़ी ढलानों में दी से स्थायित्व आने से
7—वास्तविक सर्वे पर नहर की लम्बाई बढ़ जाने से
8—लेबर एवं सामग्री की कीमत बढ़ जाने से
9—अन्य विभाग द्वारा नहरों को क्षतिग्रस्त किये जाने से
10—बजट आवंटन की सीमा निर्धारण होने से।
11—अधिकारियों/कर्मचारियों के दुर्गम स्थानों पर कार्य-भार ग्रहण न करने से

उक्त सभी नहरों की अष्टम पंचवर्षीय योजना में पूर्ण होने की संभावना है।

**कालागढ़ बांध जनपद गढ़वाल में काबिज लोगों को भवन खिलाने की मांग**

30—श्री भारत सिंह रावत—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कालागढ़ बांध, जनपद गढ़वाल के पूर्ण होने के बाद कितने भवन खाली हैं? क्या यह सत्य है कि उन भवनों में आवासहीन भूतपूर्व सैनिकों व अन्य सेवानिवृत्त लोगों का कब्जा है? यदि हां, तो क्या सरकार उन भवनों को काबिज लोगों को देगी?

कुंवर रेवती रमण सिंह उर्फ मणि जी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

**प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गोण्डा की स्वा0 निरीक्षिका के जनपद से बाहर स्थानान्तरण पर विचार**

31—श्री केदार नाथ सिंह—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1989 के प्रथम गुरुवार के लिए निर्धारित श्री चेतराम द्वारा पूछे गये अता0 प्र0 सं0-48 के उत्तर के संदर्भ में क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा

करेंगे कि प्रा0 स्वा0 केन्द्र पूरे तिवारी (परसपुर) जनपद गोंण्डा की स्वा0 निरीक्षिका श्रीमती सुशीला देवी को 10-3-88 से 19-8-88 तक अनुपस्थित रहने तथा फर्जी हस्ताक्षर करने की बात सिद्ध होने पर क्या शासन ने चरित्र पंजिका में भर्त्सनात्मक प्रविष्टि को इनके विरुद्ध पर्याप्त कार्यवाही मानी ? क्या मंत्री जी उक्त स्वा0 निरीक्षिका को जनहित में मण्डल से बाहर स्थानान्तरित करने के आदेश करेंगे ? यदि हां, तो इन्हें कब तक अन्यत्र स्थानान्तरित कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुख्तार अनीस–

जी हां ।

स्थानान्तरण दण्ड की परिभाषा में नहीं आता । फिर भी, अगले स्थानान्तरण सत्र में यदि प्रशासनिक दृष्टि से आवश्यक पाया गया तो स्थानान्तरण जनपद से बाहर करने पर विचार कर लिया जायेगा ।

**स्वतः रोजगार योजनान्तर्गत रोजगार सुलभ कराने का प्रयास**

32–श्री अमर नाथ यादव–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 1986-87 तथा 1987-88 एवं 88-89 में स्वतः रोजगार योजना के अन्तर्गत रोजगार सुलभ कराने का कितना लक्ष्य निर्धारित था और उसमें कितनी सफलता प्राप्त हुई ? इस लक्ष्य के पूरा न होने के कारण क्या हैं ? आगामी वर्षों में रोजगार की शत-प्रतिशत पूर्ति के लिए प्रदेश सरकार क्या उपाय कर रही है ?

कुंवर रेवती रमण सिंह उर्फ मणि जी–

वर्ष 1986-87, 1987-88 एवं 1988-89 में स्वतः रोजगार योजनान्तर्गत रोजगार सुलभ कराने का निर्धारित लक्ष्य क्रमशः 31,300, 15,650 एवं 31,300 था, जिसके विपरीत क्रमशः 14,924, 9,410 एवं 9,452 अभ्यर्थियों को बैंक द्वारा ऋण वितरित किया गया । लक्ष्य पूरा न होने का मुख्य कारण जिला उद्योग केन्द्र द्वारा संस्तुत आवेदन पत्रों के पर्याप्त संख्या में बैंकों द्वारा ऋण स्वीकृत न करना रहा है । बैंकों में अधिक सामन्जस्य स्थापित कर स्थिति में सुधार लाने का प्रयास किया जा रहा है ।

**जनपद लखीमपुर खीरी के निघासन विधान सभा क्षेत्र में नये राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय खोलने की मांग**

33–श्री निरवेन्द्र कुमार–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद-लखीमपुर-खीरी के सर्वाधिक पिछड़े सुदूर भारत-नेपाल सीमा पर स्थित तराई क्षेत्र के निघासन विधान सभा क्षेत्र में कुल कितने राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय कार्यरत हैं और कितने नये चिकित्सालय प्रस्तावित हैं ? क्या सरकार जनहित में उक्त विधान सभा क्षेत्र में प्राथमिकता के आधार पर अधिकाधिक राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों का सृजन करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुख्तार अनीस–

निघासन विधान सभा क्षेत्र में कुल 5 राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय कार्यरत हैं और कोई नया चिकित्सालय प्रस्तावित नहीं है । जहां तक उक्त विधान सभा क्षेत्र में अधिकाधिक नये राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय खोलने का प्रश्न है ऐसे चिकित्सा-

लय जिला योजना के अन्तर्गत जिला अनुश्रवण समिति के अनुमोदन के उपरान्त ही खोलने पर विचार किया जाता है ।

**मुख्य चिकित्साधिकारी, रायबरेली द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पदों पर की गयी नियुक्तियां**

34—श्री अकबर हुसैन बाबर—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अप्रैल, 1987 के बाद मुख्य चिकित्साधिकारी, रायबरेली अथवा अपर निदेशक स्वास्थ्य लखनऊ मण्डल, द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नियुक्तियां की गयी हैं? यदि हां, तो कितनी?

श्री मुख्तार अनीस—

मुख्य चिकित्साधिकारी, रायबरेली द्वारा अप्रैल, 1987 के बाद 21 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पदों पर नियुक्तियां की गई हैं । अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, लखनऊ मण्डल, लखनऊ द्वारा कोई नियुक्ति नहीं की गई है।

**मुख्य चिकित्साधिकारी, रायबरेली को श्री ओम प्रकाश गुप्ता द्वारा भेजा गया अपनी स्वर्गीया पत्नी के स्थान पर नियुक्ति सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र**

35—श्री अकबर हुसैन बाबर—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती मधुबाला ए0 एन0 एम0 रायबरेली जिनका देहान्त सेवाकाल में दिनांक 19-4-87 को हो गया था, के पति श्री ओम प्रकाश गुप्त द्वारा वारिस के रूप में अपनी नियुक्ति के सम्बन्ध में दिनांक 8-7-89 को अपर स्वास्थ्य सेवा निदेशक, लखनऊ को दिनांक 14-6-89 को स्वास्थ्य मंत्री को दिनांक 11-5-89 को मुख्य चिकित्साधिकरी, रायबरेली को दिये गये प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो उनकी नियुक्ति में विलम्ब का कारण क्या है? विलम्ब का दोषी कौन है? श्री ओम प्रकाश गुप्त को कब तक नियुक्त कर दिया जायेगा?

श्री मुख्तार अनीस—

जी हां ।

नियुक्ति में हो रहे विलम्ब के लिए जांच कराई जा रही है । पद रिक्त होने पर इनकी नियुक्ति कर दी जायेगी ।

**जिला पीलीभीत, सिंचाई खण्ड बरेली के अपसरा नदी पर बने पुलों के निर्माण के भुगतान में किया गया समायोजन**

36—डाक्टर दिनेश जौहरी—

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि सिंचाई खण्ड बरेली के अन्तर्गत जिला पीलीभीत में अपसरा नदी के ऊपर बनाए गए पुलों के निर्माण कार्य का पूरा भुगतान निर्माण हो जाने के 7 वर्ष उपरान्त भी अभी तक ठेकेदारों को नहीं किया गया है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं? क्या मंत्री जी ठेकेदारों को उक्त पुलों के निर्माण का भुगतान तुरन्त दिलाने के आदेश देंगे ? यदि नहीं तो क्यों ?

कुंवर रेवती रमण सिंह उर्फ मणि जी–

सिंचाई खण्ड, बरेली के अन्तर्गत जिला पीलीभीत में अपसरा नदी के ऊपर बनाए गये वर्ष 1979-82 में पुलों के निर्माण का कोई भुगतान शेष नहीं है क्योंकि ठेकेदार ने दोनों पुलों का कार्य अधूरा छोड़ दिया । विभाग द्वारा कार्य पूर्ण करने हेतु उन्हें लिखा गया फिर भी ठेकेदार द्वारा कार्य पूर्ण न करने पर उक्त कार्य अन्य एजेन्सियों से पूर्ण कराये गये । कार्य पूर्ण न करने के फलस्वरूप ठेकेदार पर 10 प्रतिशत पेनाल्टी लगायी गयी जिसके समायोजन के कारण ठेकेदार को कोई भुगतान देय नहीं है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

**वर्ष 1989 में लखनऊ के आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारियों के स्थानान्तरण**

37–श्री अचल सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर में कितने चिकित्साधिकारियों (आयुर्वेदिक) को वर्ष 1989 में स्थानान्तरित किया गया और कितने चिकित्साधिकारियों को स्थानान्तरण आदेश तामील किये गये? कितने चिकित्साधिकारियों को आदेश तामील नहीं किए गए तथा कितने चिकित्साधिकारियों ने आदेशों की अवहेलना की? इनमें से कौन और दोषी पाए गए तथा उनके विरुद्ध क्या अनुशासनात्मक कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुख्तार अनीस–

वर्ष 1989 में लखनऊ नगर में कार्यरत चार आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारियों को स्थानान्तरित किया गया इनमें से एक चिकित्साधिकारी को स्थानान्तरण आदेश तामील किया गया जिन्होंने आदेशों का पालन भी किया । तीन चिकित्साधिकारियों को उनके अवकाश पर चले जाने के कारण स्थानान्तरण आदेश तामील नहीं किये जा सके । जिन तीन चिकित्साधिकारियों को आदेश तामील नहीं कराये जा सके थे, बाद में उन्हें उनके मूल तैनाती के स्थानों पर ही कार्यरत रहने के निर्देश तत्कालीन निदेशक द्वारा दिये गये । अतः उनके विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठा ।

**वर्ष 1989 में एलोपैथिक दवाइयों का परीक्षण एवं कृत कार्यवाही**

38–श्री पंचानन राय–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1989 में कौन-कौन सी एलोपैथिक दवाइयां परीक्षणोपरान्त अथवा मानक से निम्न स्तर की पायी गयीं और किस-किस के सम्बन्ध में निषेध करने की कार्यवाही की गयी?

श्री मुख्तार अनीस–

वर्ष 1989 में जांच किए गए नमूनों में से 94 निम्न स्तर के पाये गये जिसमें से 10 औषधियों के नमूने ऐसे पाये गये जिनमें औषधि तत्व शून्य पाया गाय । औषधि तत्व शून्य पाई गई औषधियों की सूची परिशिष्ट "क" संलग्न है । शेष 84 नमूने मानक स्तर के निम्न पाये गये । अधोमानक औषधियों की सूची परिशिष्ट "ख" संलग्न है ।

स्वास्थ्य सेवा महा निदेशालय द्वारा समस्त औषधि निरीक्षकों को इस आशय के स्थायी आदेश है कि किसी औषधि के निम्न स्तर के पाये जाने की दशा में उक्त औषधि की बिक्री पर तत्काल रोक लगा दी जाय तथा निर्माता/विक्रेता से अवशिष्ट औषधि वापस मंगा ली जाय ।

(देखिये नत्थी 'ध' आगे पृष्ठ 57 पर)

**जनपद आजमगढ़ के बरोही ड्रेन पर पुलिया के निर्माण की मांग**

39—श्री पंचानन राय—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद विलरियागंज विकास खण्ड में शारदा सहायक खण्ड 32 द्वारा निर्मित बरोही ड्रेन पर किन-किन स्थानों पर पुलिया के निर्माण का प्रस्ताव है ? इनमें से कहां-कहां निर्माण हो चुका है और शेष का निर्माण कब तक कर दिया जायेगा?

कुंवर रेवती रमण सिंह उर्फ मणि जी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

**श्री मदन किशोर गोयल, अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग की प्रतिनियुक्ति की अवधि बढ़ाने पर पुनर्विचार**

40—श्री शिव प्रताप शुक्ल—

विधान सभा के प्रथम सत्र 89 के 4थे बुधवार के अता0 प्र0 सं0-28 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सिंचाई मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि श्री गोयल को किस नियम के तहत 2 जुलाई, 89 के पश्चात् निगम में रोक रखा गया है? क्या यह सत्य है कि शासन ने अपने पत्रांक 7851/23-1-89-626 डी/76, दिनांक 27-11-89 द्वारा इनकी प्रतिनियुक्ति अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव वित्त विभाग एवं न्याय विभाग द्वारा दो माह पूर्व निरस्त कर दिया गया है? यदि हां, तो क्या इन्हें निगम से तुरन्त कार्यमुक्त कर दिया जायेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

कुंवर रेवती रमण सिंह उर्फ मणि जी—

श्री मदन किशोर गोयल, अधिशासी अभियन्ता सिंचाई विभाग को उत्तर प्रदेश नलकूप निगम के अनुरोध पर और निगम के कार्यहित में दिनांक 2 जुलाई, 1989 के पश्चात् शासनादेश संख्या जी-1-70/दस-88-250/87 दिनांक 19 जनवरी, 1988 के अधीन निगम में रोका गया है ।

जी नहीं ।

वस्तुतः वित्त विभाग एवं न्याय विभाग के परामर्श के आधार पर शासन के सन्दर्भित पत्र दिनांक 27-11-89 द्वारा श्री गोयल की प्रतिनियुक्ति अवधि बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में कठिनाई व्यक्त करते हुए प्रबन्ध निदेशक उत्तर प्रदेश नलकूप निगम से अपने प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया गया था। प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0 नलकूप निगम के पत्र दिनांक 21-12-89 में श्री गोयल की प्रतिनियुक्ति अवधि बढ़ाने हेतु किये गये अनुरोध तथा औचित्य पर विशेष परिस्थितियों में पुनर्विचार करने के उपरान्त समुचित कार्यवाही की जायेगी ।

**ग्राम बभनगवां जनपद सुल्तानपुर में सिंचाई हेतु अपर्याप्त विद्युत आपूर्ति**

41—श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा बभनगवां वि0 क्षेत्र दूबेपुर, सुल्तानपुर के अन्तर्गत राजकीय नलकूप द्वारा ग्राम सभा की सिंचाई पूरी जमीन की पर्याप्त मात्रा में हो जाती है? यदि नहीं, तो उसका कारण क्या है? उक्त ग्राम की सिंचाई जनता की समस्याओं के निराकरण हेतु सरकार द्वारा क्या कोई प्रभावी कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों?

कुंवर रेवती रमण सिंह उर्फ मणि जी–

जी नहीं, ग्राम सभा बभनगवा के अन्तर्गत ग्राम बभनगवां का कुल कृषि योग्य क्षेत्रफल 122 हे0 है। इस ग्राम के उत्तरी भाग का लगभग 22 हे0 क्षेत्र नहर कमांड के अन्तर्गत आता है और दक्षिणी भाग का लगभग 100 हे0 क्षेत्र राजकीय नलकूप संख्या-167 एस0जी0 के कमाण्ड क्षेत्र में आता है। राजकीय नलकूप पर जल वितरण प्रणाली निर्मित न होने एवं अपर्याप्त मात्रा में विद्युत आपूर्ति के कारण राजकीय नलकूप द्वारा सिंचाई पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाती है ग्राम बभनगवां में जनता की सिंचाई समस्याओं के निराकरण हेतु ही सरकार द्वारा राजकीय नलकूप संख्या 167 एस जी सुल्तानपुर समूह का निर्माण कराया गया था। उक्त नलकूप पर जल वितरण प्रणाली को जनपद प्लान में धन उपलब्ध होने पर ही पूर्ण कराया जाना संभव हो सकेगा तथा विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये राज्य विद्युत परिषद् से अनुरोध किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

**धान के हलर मशीनों पर लाइसेन्स पर लगी रोक को समाप्त किए जाने की मांग**

42–डाक्टर दिनेश जौहरी–

क्या सरकार को जानकारी है कि धानहलर के लाइसेन्स पर लगी रोक के कारण धान के छोटे चक्की वालों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और वे भुखमरी के कगार पर पहुंच गये हैं? यदि हां, तो क्या सरकार इस उद्योग को कुटीर उद्योग मानकर धानहलर को लाइसेन्स से मुक्त करने की घोषणा करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

धान के हलर मशीनों के नए लाइसेंस देने पर रोक भारत सरकार द्वारा चावल मिलों के आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत लगाई गयी है। हलर/चावल मिल के परमिट/लाइसेंस जारी करने की नीति राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है और प्रदेश सरकार द्वारा उसी को लागू किया जाता है अतः हलर मशीनों को लाइसेंस मुक्त करने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा स्वयं नहीं लिया जा सकता है।

**जनपद सुल्तानपुर के सदर अस्पताल में वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक द्वारा चतुर्थ श्रेणी के पद पर की गयी नियुक्तियां**

43–श्री अकबर हुसैन बाबर–

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सुल्तानपुर के सदर अस्पताल में वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक द्वारा 30 मार्च, 1989 को चतुर्थ श्रेणी के पद हेतु चयन समिति के माध्यम से चयन किया गया था? यदि हां, तो क्या चयनित अभ्यर्थियों को कार्य पर लगाया जा चुका है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुख्तार अनीस–

जी हां, . कुल 22 चयनित व्यक्तियों में से 5 अनुसूचित जाति तथा 4 पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जा चुकी है। शेष अभ्यर्थियों की नियुक्ति न किए जाने के सम्बन्ध में जांच कराई जा रही है।

[12 बज कर 5 मिनट]

**विधान सभा के नवनिर्वाचित सदस्य श्री परमात्मा शरण मित्तल के निधन पर शोकोद्गार**

*मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)–

मान्यवर, बड़ा अफसोस और दुख है इस सदन को एक दुखद समाचार देते हुए, मान्यवर, श्री परमात्मा शरण मित्तल जो अभी इसी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर मेरठ कैंट विधान सभा क्षेत्र से चुने गये थे और वे इस सदन में प्रवेश भी नहीं कर पाये उससे पहले ही हम लोगों के बीच से उठ गये । वे अपने छात्र जीवन से ही समाज सेवा में जुटे रहते थे । वे सभासद भी थे और बिक्री कर के बहुत बड़े वकीलों में से भी थे । उनके निधन से एक बहुत बड़ा समाज सेवी और कुशल राजनीतिज्ञ हम लोगों के बीच से चला गया । भारतीय जनता पार्टी को तो बहुत ही क्षति हुई है । ऐसे विद्वान लोगों की सदन में बड़ी आवश्यकता थी । उनके सुझावों विचारों से हम लोग वंचित रह गये हैं । उनके निधन से हम सब और पूरा सदन दुखी है । हम अपनी तरफ से आपसे प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार जनों सम्बन्धियों मित्रों और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं तक हमारी संवेदनायें पहुंचाने की कृपा करें ।

नेता विरोधी दल (श्री नारायण दत्त तिवारी)–

मान्यवर, हमें अत्यन्त दुख है कि इस सदन के सम्मानित सदस्य माननीय श्री परमात्मा शरण मित्तल जी हमें छोड़कर चले गये और हम उनकी विद्वता और उनके अनुभव से, इस सदन में लाभान्वित होने से वंचित रह गये । श्रीमन्, श्री मित्तल न केवल एक जाने माने बिक्रीकर अधिवक्ता थे, बल्कि वह मेरठ नगर महापालिका के सभासद भी थे । साथ ही साथ, वह एक अच्छे खिलाड़ी भी थे और उनका जीवन जो विविध व्यक्तित्व वाले किसी समाजसेवी व्यक्ति का हो सकता है, उसी प्रकार का उनका बहुआयामी व्यक्तित्व रहा । श्रीमन्, निश्चय ही उनका यह शुभागमन इस विधान सभा की पूंजी की वृद्धि होता और वह एक अच्छे विधायक, अच्छे विधान वेत्ता, अच्छे विधान मण्डल के सदस्य के रूप में सेवा करते । श्रीमन्, मेरा भी आपसे यह आग्रह होगा कि हमारी ओर से और हमारे दल की ओर से उनके संतप्त परिवार को हार्दिक संवेदना पहुंचाने का कष्ट करें और जो असमय उनकी मृत्यु हुई है, जो क्षति हुई है, उसके सम्बन्ध में आप हमारे भावोद्गार जो उनके परिवार के स्वजन हैं, उन तक पहुंचाने की कृपा करें ।

श्री कल्यान सिंह–

श्रीमन्, श्री परमात्मा शरण मित्तल जी अपने बीच में नहीं रहे, इससे सबको बड़ा गहरा आघात लगा है । मेरा उनसे बड़ा गहरा व्यक्तिगत संबंध था । उनकी सौजन्यता, उनकी सरलता सभी को प्रभावित करने वाली थी । ऐसे कम लोग होते हैं जो निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा में लगे रहते हों । वह भारतीय जनता पार्टी में विभिन्न पदों पर रहे और प्रत्येक पद के उत्तरदायित्व को उन्होंने बहुत सफलतापूर्वक निभाया। वह केवल अपनी पार्टी में ही जनप्रिय नहीं थे, केवल कार्यकर्ताओं में ही जनप्रिय नहीं थे, बल्कि सर्व सामान्य जनता में भी वह अत्यन्त लोकप्रिय थे, उनकी ख्याति बहुत दूर तक थी, लोगों में उनकी विश्वसनीयता थी और वह बहुत सुलझे हुये व्यक्ति थे ।

पिछला जो चुनाव हुआ था, मेरठ महानगर का, उसमें भारतीय जनता पार्टी के वह सभासद निर्वाचित हुये थे और भारतीय जनता पार्टी के सभी सभासदों ने उनको सर्वसम्मति

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

से दल का नेता भी निर्वाचित किया था, उसके पश्चात् वह विधान सभा के चुनाव में खड़े हुये और अपनी लोकप्रियता के कारण लगभग 16 हजार मतों से विजयी हुए। लेकिन यह बहुत दुख और दुर्भाग्य की बात है कि इस सदन में प्रवेश करने के पूर्व ही, यहां तक कि अपने पद की शपथ ग्रहण करने के पूर्व ही परमात्मा ने उनको हमारे बीच से उठा लिया है। जैसे कहावत बुजुर्गों की है कि अच्छे आदमियों की जरूरत भगवान के यहां भी पहले पड़ती है, उसी तरह हमारे बीच में से बहुत अच्छे व्यक्ति बहुत अच्छे समाज सेवी को छीन लिया गया। मैं नहीं कह सकता कि उनके स्थान की जो रिक्ति हुयी है, वह कभी पूरी होगी। वह अपने पीछे एक पुत्र, 3 पुत्रियां को छोड़ गये हैं। उनके परिवार को भी मैंने देखा है, अभी उनका पुत्र भी इतना बड़ा नहीं है कि घर का कारोबार संभाल सके। हजारों की तादाद में लोगों ने उनके निवास पर पहुंचकर अपनी शोक संवेदनायें व्यक्त की है, यह उनकी लोकप्रियता का प्रतीक है। वह आज हमारे बीच नहीं हैं, यह बहुत दुख का विषय है, उनके निधन पर माननीय नेता सदन ने, नेता विरोधी दल ने जो शोक संवेदनायें व्यक्त की हैं उनसे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं कि मेरी ओर से और मेरे दल की ओर से शोक संवेदना के ये भाव उनके शोक संतप्त परिवार तक भिजवाने का कष्ट करें।

(श्री राम चन्द्र बख्श सिंह का नाम पुकारे जाने पर, वह सदन में उपस्थित नहीं थे।)

श्री राज किशोर सिंह–

मान्यवर, श्री परमात्मा शरण मित्तल जी पहली बार चुनकर इस विधान सभा में आये थे। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि वह हम लोगों के बीच में नहीं आ पाये और मौत ने उन्हें उठा लिया। श्री मित्तल जी एक अच्छे कार्यकर्ता, नेता व भारतीय जनता पार्टी के एक समर्पित व्यक्ति थे। उनकी खेल में, खासतौर से टेनिस में विशेष रुचि थी। वह नगरपालिका, मेरठ के सभासद भी चुने गये थे। उनके निधन से भारतीय जनता पार्टी को बहुत भारी नुकसान पहुंचा है। श्री मित्तल जी अत्यन्त लोकप्रिय थे, यही कारण था कि वह इस चुनाव में जीतकर आये थे। उनके निधन से हमारे प्रदेश में जो रिक्तता आई है, उसको भरना असंभव है। मैं अपनी ओर से और अपने दल की ओर से उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि मेरे दल की ओर से संवेदना के ये भाव उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें।

श्री सुलेमान–

श्री मित्तल जी आज इस विधान सभा में हमारे बीच में नहीं हैं। उनके प्रति जो संवेदना के भाव यहां पर व्यक्त किए गये हैं, उनसे मैं अपने को और अपने दल बहुजन समाज पार्टी को सम्बद्ध करता हूं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि हमारे दल बहुजन समाज पार्टी की ओर से भी उनके शोक संतप्त परिवार तक संवेदना के ये भाव पहुंचाने का कष्ट करें।

*श्री राम स्वरूप वर्मा–

मान्यवर, श्री परमात्मा शरण मित्तल जी एक बहुत ही विशिष्ट व योग्य व्यक्ति थे। उनके निधन से सामाजिक क्षेत्र में और वहां के राजनीतिक क्षेत्र में एक रिक्तता आई है, जिसको भरना मुश्किल है। मैं अपने को नेता सदन, नेता विरोधी दल और अन्य नेताओं के विचारों से सम्बद्ध करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरी ओर से और मेरे दल की ओर से शोक संवेदना के ये भाव उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मुझे बड़ा दुख है कि यह सदन श्री परमात्मा शरण मित्तल ऐसे व्यक्ति के विचारों से, उनके देहान्त के कारण, वंचित रह गया । मैं माननीय नेता, सदन, माननीय नेता, विरोधी दल तथा अन्य नेताओं की भावनाओं से अपने को और प्रगतिशील विधायक दल के सदस्यों को सम्बद्ध करते हुए आपसे निवेदन करता हूं कि उनके शोक सन्तप्त परिवार को हमारी और हमारे दल की शोक संवेदनायें भेजने का कष्ट करें ।

(माइक खराब होने से व्यवधान)

*श्री राजधारी–

मान्यवर, हमारे सदन में माननीय परमात्मा शरण जी हमारे बीच में नहीं रहे ।

(माइक खराब होने से व्यवधान)

उनकी लोकप्रियता जगजाहिर है । माननीय नेता सदन, मा0 नेता विरोधी दल और अन्य दलों के नेताओं ने जो विचार रखे हैं, मैं अपने को और अपने दल को उनसे सम्बद्ध करते हुए आपसे गुजारिश करूंगा कि आप उनके शोक सन्तप्त परिवार को मेरी और मेरी पार्टी की तरफ से संवेदनायें भेजने का कष्ट करें ।

*श्री देव कुमार यादव–

मान्यवर, . . . .

(माइक खराब होने के कारण कुछ भी सुनाई न पड़ने पर)

श्री अध्यक्ष–

आपका माइक काम नहीं कर रहा है । कृपया दूसरे माइक पर बोलें, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है ।

(श्री देव कुमार यादव बोलने के लिये दूसरे माइक पर आ गये)

श्री देव कुमार यादव–

मान्यवर, कोई भी माइक ठीक से काम नहीं कर रहा है, इसलिये पहला व्यवस्था का प्रश्न तो यही है ।

श्री अध्यक्ष–

यह माइक काम कर रहा है, आप बोलें ।

श्री देव कुमार यादव–

मान्यवर, संयुक्त भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से, अपनी तरफ से और अपने दल की तरफ से जो विचार माननीय मित्तल जी के सम्बन्ध में माननीय नेता सदन, माननीय नेता, विरोधी दल तथा अन्य माननीय नेताओं ने व्यक्त किये हैं, मैं उनसे अपने को सम्बद्ध करते हुए हार्दिक दुख प्रगट करता हूं कि जिस क्षेत्र की जनता ने माननीय मित्तल जी को चुना, भारी बहुमत से जिताया, उनका प्रतिनिधित्व करने के लिये वह इस सदन में शपथ भी नहीं ले सके । यह नियति की विडम्बना है । हमें उनकी सेवाओं से वंचित रहना पड़ा। उनके भारी बहुमत से विजयी होने से मालुम होता है कि वे अपने जनपद में, अपने दल में और अपनी जनता के बीच में बहुत ही लोकप्रिय थे इसीलिये भारी बहुमत से विजयी होकर सदन के लिये भेजे गये थे । मैं उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त करता हूं । हमारी तरफ से और हमारे दल की तरफ से हमारी सच्ची सम्वेदनायें उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता विरोधी दल, माननीय नेता सदन और अन्य सभी दलों के नेताओं ने श्री परमात्मा शरण मित्तल के निधन पर जो भावनायें व्यक्त की हैं, मैं उन सभी भावनाओं से अपने को सम्बद्ध करता हूं । विडम्बना यह है, दुर्भाग्य यह है कि इस सदन की सेवा के लिये जहां की जनता ने उन्हें चुन कर भेजा था, इसमें उनका लाभ हम सबको न मिल सका, प्रदेश को नहीं मिल सका । आज हम सब और हमारा पूरा सदन इसके लिये अत्यन्त दुखी है । अब हमारा आप सबसे अनुरोध है कि कृपया दो मिनट खड़े होकर दिवंगत आत्मा के प्रति सम्मान व्यक्त करें ।

(सभी सदस्य अपने-अपने स्थान पर दो मिनट मौन खड़े हुए ।)

**विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री रघुकुल तिलक, श्री कालीचरण, श्री धर्मदत्त वैद्य, श्री छोबन सिंह जीना, श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह, श्री राजपाल, श्री अक्षयवर सिंह, श्री गौरी-राम गुप्त, श्री मोहम्मद असलम हाफिज, श्री ख्याली राम, श्री जगन्नाथ लहरी तथा श्री बल्देव सिंह सरदार के निधन पर शोकोद्गार**

*मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)–

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक और बहुत ही दुखद समाचार है । श्री रघुकुल तिलक का निधन 25 दिसम्बर, 1989 को गुडगांव में देर रात एक सड़क दुर्घटना में हो गया । मान्यवर, श्री रघुकुल तिलक जी 1939 में कांग्रेस पार्टी के टिकट पर विधायक हुये थे और उसके बाद लगातार उच्च पदों पर वे रहे । पहले वे 1928-32 [illegible] 0 पी0 लेजिस्लेटिव काउन्सिल लाईब्रेरी के पुस्तकाध्यक्ष रहे । गोल मेज कांफ्रेंस के बाद उन्होंने 1932 में सरकार के विरोध में नौकरी छोड़ दी और उन्होंने असहयोग आन्दोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया और जेल गये । वर्ष 1935 में जब वे जेल से छूटे उसके बाद वह काशी विद्यापीठ में प्रवक्ता हो गये । 1942 में पुनः उन्होंने भारत छोड़ो आन्दोलन में भाग लिया और आन्दोलन में भाग लेने के फलस्वरूप उनको जेल जाना पड़ा । वे उत्तर प्रदेश [illegible] परिषद् में सभा सचिव भी रहे, फिर उन्होंने कांग्रेस पार्टी से त्याग पत्र दे दिया और समाजवादी दल में शामिल हो गये । समाजवादी आन्दोलन में उन्होंने बहुत सम्मान व ख्याति प्राप्त की। वे राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य भी रहे तथा राजस्थान के महामहिम राज्यपाल भी रहे और काशी विद्यापीठ के उपकुलपति भी रहे ।

हमारे प्रदेश के व देश के जाने माने विद्वानों में से थे, शिक्षाविद्, समाजसेवी व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उन्होंने हमारे देश की कई उच्च पदों पर रहकर सेवा की, सदन की सेवा की, आज हमारे बीच नहीं हैं । हमारी आपसे प्रार्थना है कि इनके परिवार और संबंधियों तक हमारी तरफ से व सदन की तरफ से संवेदनाएं पहुंचाने की कृपा करें ।

मान्यवर, दूसरे हमारे भूतपूर्व सदस्य श्री कालीचरण जी, इनका निधन 19 सितम्बर, 1989 को एस्कोर्ट अस्पताल दिल्ली में हो गया । मान्यवर, 6 अप्रैल, 1909 को कासगंज जिला एटा में इनका जन्म हुआ । मान्यवर यह सर्वप्रथम 1957 में कांग्रेस पार्टी से कासगंज (एटा) निर्वाचन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए, उसके बाद पुनः 1967 में विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए । मान्यवर, स्व0 श्री

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कालीचरण जी स्व0 सम्पूर्णानन्द मंत्रिमण्डल में उप मंत्री रहे और इन्हें सबसे ज्यादा रुचि अध्ययन में थी, अब हमारे बीच से उठ गए और जनपद एटा का एक बहुत बड़ा नेता, समाज सेवी हमारे बीच नहीं रहा । हम आपसे प्रार्थना करेंगे कि हमारी संवेदनाएं शोक-संतप्त परिवार व उनके समस्त संबंधियों तक पहुंचाने की कृपा करें ।

मान्यवर, भूतपूर्व सदस्य, स्व0 श्री धर्मदत्त वैद्य जी, इनका निधन 4 नवम्बर, 1989 को प्रातः 8.00 बजे हो गया । मान्यवर, श्री धर्मदत्त वैद्य जी से सभी परिचित थे, और वह पूरे उत्तर प्रदेश के आम जनता के लोकप्रिय भी रहे हैं, वे सर्वप्रथम 1952 में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के रूप में बहेड़ी दक्षिण पश्चिम कम बरेली पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र से विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे । इसके पश्चात् वे 1957, 1962, 1969 तथा 1977 में भी विधान सभा के सदस्य चुने गए । श्री धर्मदत्त वैद्य जी ने राष्ट्रीय आन्दोलनों में भी भाग लिया तथा वर्ष 1930 और 1942 में जेल भी गए तथा वे राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेते रहे । उन्होंने सभा-सचिव, राज्य मंत्री, मंत्री तथा सिंचाई निगम के अध्यक्ष के रूप में प्रदेश की सेवा की । शिक्षा में उनकी विशेष रुचि थी तथा वे एक अच्छे समाज सेवी व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे, इस प्रकार से हमने प्रदेश के एक बड़े नेता को खो दिया । हम आपसे निवेदन करेंगे कि हमारी संवेदनाएं सदन की तरफ से उनके परिवार-जन तक पहुंचाने की कृपा करें ।

मान्यवर, भूतपूर्व सदस्य श्री शोबन सिंह जीना का निधन 2 अक्टूबर, 1989 को प्रातः हो गया । श्री शोबन सिंह जीना जी प्रदेश के एक कुशल राजनीतिक, सामाजिक सेवक के रूप में रहे हैं, इनके निधन से हमारे प्रदेश के और हमारे इस सदन के सभी माननीय सदस्यों को महान दुख हुआ है । सम्पूर्ण सदन की ओर से इनके परिवार तक संवेदनाएं पहुंचाने की कृपा करें ।

मान्यवर, भूतपूर्व सदस्य श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह का निधन 26 नवम्बर, 1989 को सायंकाल लगभग 05.30 बजे पडरौना स्थित उनके निवास स्थान पर ही पारिवारिक संघर्ष में गोली लगने से हो गया । इनकी हत्या एक ऐसे घृणित तरीके से की गई है, जो हमारे लिए एवं सभी के लिए बहुत ही दुख की बात है । श्री सिंह का जन्म देवरिया जनपद के एक राजघराने में हुआ था । यह सर्वप्रथम भारतीय क्रांतिदल के टिकट पर पडरौना विधान सभा क्षेत्र से विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे । उसके बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और 1975 से लेकर 1977 तक 20 सूत्री कार्यक्रम की अखिल भारतीय कार्यान्वयन समिति के जनरल सेक्रेटरी रहे और वह भारत सरकार में 1980-82 तक राज्य मंत्री रहे और उन्होंने प्रदेश और देश की बड़ी सेवा की अपने पद पर रहकर । उनकी जिस तरीके से हत्या की गई, उससे महान अफसोस है । मान्यवर, हमारे और पूरे सदन की ओर से उनके परिवार तक शोक संवेदनाएं भेजने का कष्ट करें ।

मान्यवर, श्री राजपाल जी का निधन 30 सितम्बर, 1989 को डाक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली में हो गया । मान्यवर, श्री राजपाल जी सर्वप्रथम 1974 के सामान्य निर्वाचन में कांग्रेस पार्टी के टिकट पर मुरादनगर, जनपद मेरठ से उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे । 7 जुलाई, 1980 से 6 जुलाई, 1986 तक उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के भी सदस्य रहे । जिस समय वह विधान परिषद् के

सदस्य थे, उस समय मैं भी वहां पर सदस्य था हमारे और उनके बीच बहुत ही अच्छे व्यक्तिगत संबंध थे । मैं विपक्ष में था, नेता विरोधी दल के नेता के रूप में था, लेकिन सही बात जब कहता था तो कांग्रेस पार्टी में रहकर कभी खड़े होकर हमारा समर्थन भी करते थे और लाबी में आकर, जो वह सदन में सरकार की आलोचना नहीं कर सकते थे, हमारी बात का समर्थन करते थे । हमारे उनके व्यक्तिगत संबंध थे । वह स्वतंत्रता सेनानी थे और उन्होंने आजादी की लड़ाई में अहम् भूमिका निभाई थी । वह बहुत बड़े समाज-सेवी थे । उनके निधन से हमें महान अफसोस है । मान्यवर, मेरा आपसे अनुरोध है कि हमारे और पूरे सदन की ओर से शोक संवेदनाएं उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

मान्यवर, श्री अक्षयवर सिंह का निधन दिनांक 9 अक्तूबर, 1989 को अपराह्न जिला सदर अस्पताल गोरखपुर में हो गया । श्री सिंह सर्वप्रथम 1946 में कांग्रेस पार्टी से गोरखपुर निर्वाचन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे । उसके पश्चात् 1952, 1957 एवं 1962 के सामान्य निर्वाचनों में भी विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे । विधान सभा में रह कर इस सदन की उन्होंने बड़ी सेवा की है । वर्ष 1932 में आन्दोलन की बागडोर उन्होंने संभाली और 175 कार्यकर्ताओं के साथ गिरफ्तारी दी । इस तरह से उन्होंने आजादी की लड़ाई में बड़ी अहम् भूमिका निभाई । श्री सिंह एक कुशल राजनीतिज्ञ और समाजसेवी थे । उनके निधन से हम लोगों को महान अफसोस है और दुख है । हमारी और पूरे सदन की ओर से हमारी शोक संवेदनाएं उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

मान्यवर, श्री गौरी राम गुप्त का निधन 13 अक्टूबर, 1989 को हो गया । मान्यवर, श्री गुप्त, सर्वप्रथम 1952 में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के रूप में फरेन्दा निर्वाचन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे । वह 1957 और 1967 के सामान्य निर्वाचनों में भी विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे । मान्यवर, उन्होंने इस सदन की महान सेवा की है और वह बहुत बड़े जनप्रिय नेता थे । उनके निधन से हमने एक स्वतंत्रता सेनानी और समाज सेवी खो दिया है । उनके निधन से हम सभी दुखी हैं । हमारी आपसे प्रार्थना है कि हमारी और पूरे सदन की ओर से शोक संवेदनायें उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

मान्यवर, भूतपूर्व सदस्य श्री मोहम्मद असलम हाफिज का निधन दिनांक 28 अक्टूबर, 1989 को हो गया । उनका जन्म सहारनपुर जनपद में हुआ था । श्री मोहम्मद असलम हाफिज सर्वप्रथम 1974 में कांग्रेस पार्टी के टिकट पर क्षेत्र मुजफ्फराबाद से विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे । वे एक बहुत बड़े समाजसेवी और सहारनपुर के एक कुशल राजनीतिज्ञ थे । वे हम लोगों से अलग हो गए हैं जिसके लिए हम सभी दुखी हैं । मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप उनके परिवार तक हम लोगों की तरफ से संवेदना भेजने की कृपा करें ।

मान्यवर, भूतपूर्व सदस्य श्री ख्याली राम जी का निधन दिनांक 3 दिसम्बर, 1989 को सायंकाल 7 बजे हो गया । श्री ख्याली राम जी सर्वप्रथम 1957 में प्रजा समाजवादी दल के टिकट से निर्वाचन क्षेत्र मोहनलालगंज, लखनऊ से विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे । उसके पश्चात् 1964 के उप-चुनाव में भी वे इस विधान सभा के सदस्य चुने

गए । वे जिला बोर्ड के सदस्य भी रह चुके हैं । इस प्रकार विभिन्न पदों पर वे अपने जीवन में रहे । ख्याली राम जी के निधन से जनपद लखनऊ के एक कुशल समाज सेवी हमारे बीच से उठ गए । मान्यवर, आपसे प्रार्थना है कि आप उनके शोक संतप्त परिवार तक हमारी ये संवेदना भेजने का कष्ट करें ।

श्री जगन्नाथ लहरी का निधन दिनांक 27 दिसम्बर, 1989 को प्रातःकाल हो गया । उनका जन्म फिरोजाबाद जनपद में हुआ था । वे सर्वप्रथम सन् 57 में फिरोजाबाद निर्वाचन क्षेत्र से विधान सभा के सदस्य हुए थे । श्री लहरी जी ने राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग लिया । उनके निधन से जनपद फिरोजाबाद के एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, कुशल पत्रकार और समाजसेवी को हमने खो दिया । इसके लिए हम सब लोग दुखी हैं । मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप उनके परिवार तक हमारी ये शोक संवेदनायें भेजने की कृपा करें ।

मान्यवर, श्री बल्देव सिंह सरदार, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा का निधन 30 दिसम्बर, 1989 को प्रातःकाल में हो गया । वे लगभग 66 वर्ष के थे । सर्व प्रथम श्री सिंह सन् 1962 में जनसंघ के प्रत्याशी के रूप में तुलसीपुर (गोण्डा) निर्वाचन क्षेत्र से विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे । उनके निधन से जनपद गोण्डा ने एक कुशल समाजसेवी खो दिया है । मान्यवर, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप हमारी तरफ से उनके शोक संतप्त परिवार तथा उनके संबंधियों तक संवेदना भेजने की कृपा करें ।

नेता विरोधी दल (श्री नारायण दत्त तिवारी)–

श्रीमन्, माननीय नेता सदन ने जिन 12 विभूतियों के जीवन-वृत्त पर प्रकाश डालकर सदन की ओर से शोक संवेदना व्यक्त की है, मैं भी विनम्रतापूर्वक अपने को उनकी भावनाओं से सम्बद्ध करता हूं । श्रीमन्, इन सभी 12 विभूतियों के साथ समय-समय पर मुझे काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और जब हम इन विभूतियों के जीवन-वृत्तों को देखते हैं पुनरावलोकन करते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारी पीढ़ी के अनेक साथी और सहयोगी आज हमें छोड़कर जा रहे हैं । यह जीवन का क्रम है, दुखद क्रम है । लेकिन इन विभूतियों की सेवाएं और इनके संक्षिप्त सिंहावलोकन से स्पष्ट होता है कि इन्होंने अपने-अपने संदर्भ में समाज की, राष्ट्र की, देश की और प्रदेश की अविरल सेवायें की हैं ।

श्रीमन्, श्री रघुकुल तिलक वास्तव में रघुकुल तिलक थे । उन्होंने यथा नाम तथा गुणों की युक्ति चरितार्थ कर दी थी । मुझे सर्वप्रथम उनके दर्शन 1947 में मेरठ की कांग्रेस में हुए थे और एक अनुभूति जो उनके सरल, सहज व्यक्तित्व से प्राप्त हुई वह आज भी एक छवि बन कर प्रेरित करती है । श्री रघुकुल तिलक विचारों के धनी थे । इस विधान सभा से उनका संबंध यह भी रहा है कि वह 1928 से 1932 तक यू0 पी0 एसेम्बली लाइब्रेरी के पुस्तकाध्यक्ष रहे । इस प्रकार हमारे विधान मण्डल से उनका सीधा संबंध ब्रिटिश काल से रहा और पुस्तकाध्यक्ष के रूप में ही नहीं उसके बाद वह सभा सचिव के रूप में यहां शोभित रहे । उस समय जो यहां लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसमें उनकी सेवाएं संयोजित रही । इस प्रकार लगभग 60 साल पुरानी उनकी सेवायें यहां रहीं । श्रीमन्, जो उस समय के समाजवादी आन्दोलन के प्रणेता थे आचार्य नरेन्द्र देव, डा0 लोहिया, माननीय दामोदर स्वरूप सेठ आदि के साथ मैंने उनको काम करते हुए देखा है । उन्होंने अपने जीवन को प्रजातांत्रिक समाजवादी विचारों के साथ जोड़ा

था । श्रीमन्, राजस्थान के गवर्नर के रूप में उनकी सेवायें सदैव याद रखी जायेंगी । यह दुर्भाग्य ही था कि एक दुर्घटना में न केवल माननीय रघुकुल ग्रसित हुए बल्कि उनके सुपुत्र और परिवार के लोग भी आग्रस्त हुए । कृपया हमारी हार्दिकतम संवेदना इस शोक-संतप्त दुर्घटनाग्रस्त परिवार को पहुंचाने का कष्ट करें ।

माननीय कालीचरण जी का एक विशेष व्योक्तित्व था । माननीय स्व0 चन्द्रभानु गुप्त के वह सहयोगी रहे और उनके मंत्रिमण्डल में सदस्य रहकर प्रदेश की सेवा की । प्रश्न काल में जिस दृढ़ता और स्पष्टता से वह भाग लेते रहे वह आज भी मुझे याद है । वह न केवल एटा जनपद के विकास के लिए बल्कि सम्पूर्ण प्रदेश के विकास के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे । अस्वस्थ होने के बाद भी वह एटा जनपद और आगरा मण्डल के प्रतिनिधि मण्डलों में आते रहे ताकि वहां का सर्वांगीण विकास हो । वह एक ख्याति प्राप्त पत्रकार भी थे । उनके शोक संतप्त परिवार तक हमारी हार्दिक संवेदना पहुंचाने का कष्ट करेंगे ।

प्रात: स्मरणीय माननीय धर्मदत्त वैद्य जी व्यक्तित्व के अभूतपूर्व धनी थे । वह सादगी, तारल्य व गांधीवादी संस्कृति के जीती जागती मूर्ति थे । उनकी बहुमुखी सेवाएं चाहे स्वतंत्रता संग्राम की रही हों या रुहेलखण्ड के विकास की हों या प्रदेश के विकास की हों वह सदैव याद रहेंगी । रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय के निर्माण में उनका विशेष योगदान रहा और न जाने कितनी शिक्षण संस्थाओं से उनका सम्बन्ध रहा । आज भी वह रचनात्मक गांधीवादी प्रवृत्ति और सादगी के प्रतीक थे । यह एक संयोग है कि उनके सुयोग्य पुत्र श्री भूपेन्द्र नाथ शर्मा जी अभी इस सदन के विधायक चुने गए हैं । हमारी हार्दिकतम संवेदना भूप्पेन्द्र नाथ जी के जरिए उनके शोकसंतप्त परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें ।

माननीय शोबन सिंह जीना पर्वतपुत्र हिमालय की संस्कृति के प्रतीक थे । विचार गंभीरता, निश्चय शक्ति और माधुर्य में वह पर्वतराज हिमालय की गुणात्मकता के अनुरूप थे और वह इसीलिए पर्वत पुत्र कहलाते थे । भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से उन्होंने प्रदेश और देश की सेवा की और उसके वह वरिष्ठ सदस्य रहे । उनका दृष्टिकोण इतना उदार था कि जहां तक विकास का प्रश्न है या सामन्जस्य स्थापित करने का प्रश्न है वह सामान्जस्य पूर्ण राजनीति के पोषक थे । उनके विचारों में दृढ़ता और वाणी में मृदता थी । पर्वतीय विकास मंत्री के रूप में उन्होंने लगभग 3 वर्षों तक प्रदेश की सेवा की जो दीर्घकाल तक रखी जायेगी ।

श्रीमन्, श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह जिनको श्री सी0 पी0 एन0 सिंह के नाम से जाना जाता था जिनके संबंध में नेता सदन ने उनकी सेवाओं का विशेष उल्लेख किया, वह एक बड़े विशिष्ट कोटि के व्यक्ति थे और उनके व्यक्तित्व में आकृष्ट करने की क्षमता थी । जब वह विधान सभा के सदस्य थे तो तीखे लेकिन संसदीय परम्परा के अनुसार प्रभावकारी प्रश्नों के माध्यम से हम सब का ध्यान आकृष्ट किया करते थे । जब केन्द्र में वह गये तो शासन में रहकर, रक्षा मंत्रालय में रहकर जिस प्रकार योगदान दिया वह भी स्मरणीय रहेगा। वह एक अच्छे पार्लियामेन्टेरियन थे और निष्ठा के धनी थे । देवरिया जनपद, पूर्वान्चल उत्तर प्रदेश की आवाज सदैव वह उठाते रहे । ऐसे एक प्रखर सजग राजनीतिज्ञ की अकाल-मृत्यु जिन परिस्थितियों में हुई उसका हमें अत्यन्त दुख है ।

श्रीमन, श्री राजपाल त्यागी जी यह हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद-मेरठ मंडल के प्रारम्भ से एक कर्मठ नेता थे और उन्होंने राज्य मंत्रि-मंडल के सदस्य रहकर, विधान

परिषद् के सदस्य रहकर, इस सदन के सदस्य रहकर बहुत सेवायें अपने क्षेत्र, अपने जनपद और मंडल की और उनका पूरा योगदान प्रदेश के विकास में रहा । वह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे और 1942 के आंदोलन में उन्होंने भाग लिया था ।

श्रीमन्, श्री अक्षयवर सिंह एक जाने माने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेना के अग्रणी थे । उनकी आवाज में तथ्यों को रखने की अपनी विशेष कला थी । वह 1946 से लेकर 1967 तक निरन्तर 21 सालों तक इस विधान सभा के सदस्य रहे । वह वरिष्ठतम सदस्यों में माने जाते थे और कांग्रेस पार्टी के माध्यम से तथा अनेक सामाजिक संगठनों के माध्यम से उन्होंने जो प्रदेश की सेवा की जिसके लिए वह हमेशा याद रहेंगे ।

श्री गौरी राम गुप्ता जी को गोरखपुर की देन थे एक जाने माने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे । वह भी 1952 में प्रथम बार यहां चुने गये और दारुल शफा के ए ब्लाक में हम और वह साथ-साथ पड़ोसी रहे । उनका सरल व्यक्तित्व हमें 1952 से 1962 तक, 10 सालों तक, पड़ोसी होने के नाते देखने को मिला था । वह निरन्तर प्रश्नों व पत्रों के माध्यम से यहां अपने क्षेत्र, अपने जनपद और पूर्वान्चल की आवाज उठाते रहे । एक ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और समाज सेवी को खोकर हम सब को बहुत दुख है ।

श्रीमन्, श्री मोहम्मद असलम हाफिज जनपद सहारनपुर की विभूति थे । कुछ सप्ताह हुए साकम्बरी चीनी मिल के स्थापना समारोह में मुझे उनके दर्शन हुए थे । उनका एक मिशन था कि किस तरह से जो भावरी क्षेत्र है सहारनपुर जिले का उसका विकास हो । वह हमेशा वहां के लिए ट्यूबवेल और विकास की बात उठाते रहते थे । यदि घाड भावर क्षेत्र का कुछ विकास हुआ है तो उसमें मोहम्मद असलम हाफिज जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है । वह सहकारी आन्दोलन और गन्ना विकास के भी अच्छे पोषक थे, और इस हेतु सतत् प्रयत्नशील रहे ।

श्री ख्याली राम जी एक प्रखर समाजवादी थे और विरोधी दल में जब हम सन् 52 से 62 तक बैठे तो ख्याली राम जी का पूरा सहयोग हमेशा हमें प्राप्त हुआ । उन्होंने लखनऊ जनपद की बहुत बड़ी सेवा की और खासकर देहाती क्षेत्र की वह आवाज बने ।

मान्यवर, स्वर्गीय जगन्नाथ लहरी जी फिरोजाबाद जनपद की एक प्रभावकारी शक्ति और प्रखर आवाज थे । बहुत समय तक इस सदन में भी उन्होंने फिरोजाबाद की और आगरा मंडल की आवाज प्रभावी ढंग से उठाई । वह एक अच्छे पत्रकार भी थे और वह अपनी अध्ययनशीलता के लिए भी माने-जाने व्यक्ति थे । वह लाइब्रेरी का पर्याप्त उपयोग करते थे । उन दिनों जब कभी मुझे लाइब्रेरी में जाने का अवसर मिलता, तो मैंने उन्हें वहां पर विधान मंडल लाइब्रेरी का उपयोग करते हुए पाया ।

अब जहां तक सरदार बल्देव सिंह जी का संबंध है, इस सदन में उनकी एक अनोखी छवि थी । जिस प्रकार वह गोंडा जनपद की, पूर्वांचल की आवाज यहां पर उठाते थे और जिस तीक्ष्णता और विलक्षणता के साथ उठाते थे, उसकी आवाज भी हमें याद है । उन्होंने जिस प्रकार सर्वधर्म निरपेक्ष भावना में कार्य किया और जिस प्रकार तुलसीपुर गोण्डा की जनता ने उनको धर्म निरपेक्ष भावना से चुनाव जिताया , वह भी एक प्रेरणादायक सन्दर्भ है ।

वह तुलसीपुर गोण्डा टाउन एरिया के अध्यक्ष भी रहे और उनकी सेवाएं इस जनपद के लिए सदैव स्मरणीय रहेंगी ।

श्रीमन्, मेरा आपसे आग्रह होगा कि इन सभी विभूतियों के शोक संतप्त परिवारों को आप हमारे दल की हार्दिकतम संवेदनायें प्रेषित करने का कष्ट करें ।

श्री कल्यान सिंह–

अध्यक्ष महोदय, श्री रघुकुल तिलक, कालीचरण, धर्मदत्त वैद्य, शोबन सिंह जीना, चन्द्र प्रताप नारायण सिंह, श्री राजपाल त्यागी, श्री अक्षयवर सिंह, श्री गौरी राम गुप्ता, श्री मो0 असलम हाफिज , श्री ख्याली राम, श्री जगन्नाथ लहरी और सरदार बल्देव सिंह- इनके निधन के संदर्भ में जो शोकाद्गार माननीय नेता सदन ने और माननीय नेता विरोधी दल ने व्यक्त किये हैं, मैं अपने की और अपने दल को उससे सम्बद्ध करता हूं । ये सभी विभूतियां इस प्रकार की हैं कि जिनका राजनैतिक और सामाजिक जीवन में एक विशिष्ठ स्थान रहा है । ये विभूतियां वह भी रही हैं, जिन्होंने अपने जीवनकाल में सदैव नैतिक मूल्यों की राजनीति का पक्ष लिया है । उनके उठ जाने से आज हमें गहरा सदमा इसलिए भी है कि राजनीति में नैतिक मूल्य घटते जा रहे हैं । आज उनके उठ जाने से पूरे प्रदेश को गहरा आघात लगा है । इसमें से सबके साथ तो बैठने का मुझे सौभाग्य नहीं मिला है, इन सबके बारे में तो हमें व्यक्तिगत जानकारियां नहीं हैं, लेकिन जो कुछ उनके बारे में सुना है या पढ़ा है, उसके आधार पर कह सकता हूं कि उन्होंने इस प्रदेश की बहुत बड़ी सेवा की है और बहुत बड़ा स्थान प्राप्त किया ।

शोबन सिंह जीना के बारे में जैसा कहा है, यों तो उन्होंने प्रदेश के वन मंत्री के नाते पूरे प्रदेश की सेवा की है और जहां तक पर्वतीय अंचल का संबंध है वह उनके साथ एक प्रकार से एकाकार हो गये थे । यह उनका सौभाग्य रहा है कि विभिन्न राजनैतिक दलों के सदस्यों के मध्य विभिन्न विचारधाराओं के होते हुए भी, सबने उनको सम्मान दिया है और वह सभी उनपर पूरा विश्वास भी करते थे । हमें भारी दु:ख है कि आज वह हमारे बीच से उठ गये हैं । यह हमारे लिए गहरे दुख: का विषय है । इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप हमारी और हमारे दल की शोक संवेदनाएं इन सभी शोकाकुल परिवारों तक पहुंचाने का कष्ट करें ।

श्री राजकिशोर सिंह–

माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री रघुकुल तिलक (मेरठ), श्री कालीचरण (एटा), श्री धर्मदत्त वैद्य (बरेली), श्री शोबन सिंह जीना (अल्मोड़ा), श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह (देवरिया), श्री राजपाल (गाजियाबाद), श्री अक्षयवर सिंह (गोरखपुर), श्री गौरीराम गुप्ता (गोरखपुर), श्री मो0 असलम हाफिज (सहारनपुर), श्री ख्याली राम (लखनऊ), श्री जगन्नाथ लहरी (फिरोजाबाद) तथा श्री बल्देव सिंह सरदार (गोंडा), जो इस विधान सभा के सदस्य रहे हैं वह हमारे बीच नहीं रहे । यह तमाम नेता हमारे प्रदेश के प्रमुख राजनीतिक नेताओं में से रहे हैं और इन महान विभूतियों की अपने-अपने क्षेत्रों में बहुत ज्यादा इज्जत रही है । यह लोग बहुत लोकप्रिय रहे हैं इनके सामाजिक और राजनैतिक कार्य किसी से छिपे नहीं हैं आज भी इनके क्षेत्रों में बरकरार हैं । मान्यवर, इन विभूतियों के बारे

में हमारे माननीय नेता सदन ने जो जीवन परिचय में भावनायें प्रकट की हैं उससे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि इनके शोक संतप्त परिवार तक हमारी और हमारे दल की तरफ से शोक संवेदनायें भेजने की कृपा करें । मैं इन महान विभूतियों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं ।

*श्री देव कुमार यादव–

मान्यवर, स्व0 श्री रघुकुल तिलक, श्री कालीचरण, श्री धर्मदत्त वैद्य श्री शोबन सिंह जीना, श्री चन्द्र प्रताप नारायन सिंह, श्री राजपाल, श्री अक्षयवर सिंह, श्री गौरी राम गुप्ता, श्री मो0 असलम हाफिज, श्री ख्याली राम, श्री जगन्नाथ लहरी, और श्री बल्देव सिंह सरदार के प्रति जो उद्गार माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल तथा माननीय नेता भारतीय जनता पार्टी ने और माननीय नेता सी0 पी0 एम0 ने व्यक्त किये हैं, उनसे मैं अपने को और अपनी पार्टी को सम्बद्ध करता हूं। रघुकुल तिलक जी एक ऐसी प्रतिभाशाली थे जो न केवल शिक्षा क्षेत्र के क्षेत्र में बल्कि सामाजिक और राजनैतिक क्षेत्र में अग्रणी थे, जिनका योगदान इस देश और प्रदेश के लिए अविस्मरणीय रहेगा । मान्यवर, इन्होंने इस माननीय सदन के पुस्तकाध्यक्ष के रूप में जो सेवा की और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में जो सेवा उसके संदर्भ में मैं आपके माध्यम से मान्यवर नेता सदन से, इस पूरे सदन की तरफ से यह आग्रह करना चाहता हूं कि उनके निधन के पश्चात् विधान सभा पुस्तकालय में श्री रघुकुल तिलक के नाम से एक हाल का नामकरण करके उनकी स्मृति को चिरस्थायी बना दिया जाय और उनके संबंध में कोई शोध संस्थान खोलकर ऐसे व्यक्ति का जिन्होंने न केवल शिक्षा के क्षेत्र में, न केवल विचारों के क्षेत्र में, बल्कि देश के मुक्ति संग्राम में जिस प्रकार से देश के लिए अपने को न्योछावर किया है, हम उनकी प्रेरणा प्राप्त करते रहें बल्कि ऐसी संस्था का खोलना मैं समझता हूं कि इस देश और प्रदेश की आगामी पीढ़ियों के लिए बहुत आवश्यक है ।

माननीय स्वर्गीय धर्मदत्त वैद्य, शोबन सिंह जीना और राजपाल के साथ 1974 से लेकर अब तक मुझे भी सदन का एक साधारण सदस्य होने का गौरव प्राप्त हुआ है और बहुत से लोगों के साथ बैठने का और सुनने का अवसर मिला है । मान्यवर, राजपाल की इस प्रदेश के माननीय तिवारी जी के मंत्रि मण्डल में मंत्री थे, उन्होंने अपने सादा जीवन और उच्च विचारों के माध्यम से जिस तरह से इस प्रदेश की सेवा की है, वह हम लोग कभी भूल नहीं सकते हैं । मान्यवर, स्वर्गीय श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह का निधन जिन परिस्थितियों में हुआ, वह न केवल हमारे लिए बल्कि हमारे लोकतंत्र के लिए एक बहुत गम्भीर चिन्ता का विषय है । ऐसे व्यक्ति का निधन, ऐसे व्यक्ति का दुःखद अन्त मान्यवर, हत्या के रास्ते से हुआ, हिंसा के रास्ते से हुआ, इसलिए हम यह महसूस करते हैं कि न केवल इनका ही, बल्कि उस देश के अन्य माननीय सदस्यों का भी दुःखद अन्त हुआ है । मैं सरकार के माध्यम से, आपके माध्यम से यह आग्रह करना चाहता हूं कि जो व्यक्ति सामाजिक और राजनैतिक जीवन में संघर्ष करते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए विशेष रूप से सरकार को जागरूक रहना चाहिए । मान्यवर, जिन अन्य सदस्यों के बारे में जो भाव-भीनी श्रद्धांजलियां माननीय नेता सदन और माननीय

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नेता विरोधी दल तथा अन्य माननीय सदस्यों ने व्यक्त की है, मैं अपने और अपने दल के की उनसे सम्बद्ध करते हुए आपसे आग्रह करूंगा कि हमारी शोक संतप्त हार्दिक संवेदनाएं इनके परिवारों तक पहुंचाने की कृपा करें ।

श्री सुलेमान–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपने दल बहुजन समाज पार्टी और अपने दल बहुजन समाज पार्टी के सदस्यों की ओर से स्वर्गीय श्री रघुकुल तिलक, मेरठ, स्वर्गीय श्री कालीचरण, एटा, स्वर्गीय श्री धर्मदत्त वैद्य, बरेली, स्वर्गीय श्री शोबन सिंह जीना, अल्मोड़ा, स्वर्गीय श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह, देवरिया, स्वर्गीय श्री राजपाल, गाजियाबाद, स्वर्गीय श्री अक्षयवर सिंह, गोरखपुर, स्वर्गीय श्री गौरीराम गुप्ता, गोरखपुर, स्वर्गीय श्री मो0 असलम हाफिज, सहारनपुर, स्वर्गीय श्री ख्याली राम, लखनऊ, स्वर्गीय श्री जगन्नाथ लहरी, फिरोजाबाद, स्वर्गीय श्री सरदार बल्देव सिंह, गोण्डा और एक भूतपूर्व माननीय सदस्य, चौधरी श्याम सिंह जी जो बिजनौर जिले से धामपुर विधान सभा क्षेत्र से विधायक चुने जाते थे, का नाम इस सूची में शामिल नहीं किया गया है । मुझे बड़ा दुख है कि यह सूची जो मुझे दी गई है, इसमें इनका नाम नहीं दिया गया है । मैं इन सभी भूतपूर्व माननीय सदस्यों के परिवार के दुख में बराबर का भागी हूं और मैं अपने दल बहुजन समाज पार्टी के सदस्यों की ओर से इन सभी को श्रद्धांजलि खिराजे अकीदत पेश करता हूं । मैं इन सभी के परिवारों के लिए दुआ करता हूं कि खुदा इनके परिवारों को सब्र अता फरमाये । माननीय अध्यक्ष जी से मेरा अनुरोध है कि इन सभी माननीय भूतपूर्व सदस्यों के परिवारों को मेरे और मेरे दल बहुजन समाज पार्टी की ओर से संवेदना संदेश भेज दें

*श्री राजधारी–

मान्यवर, माननीय नेता सदन ने जिन 12 निवर्तमान दिवगत माननीय सदस्यों के निधन के संबंध में प्रस्ताव सदन के सामने रखा है और जिस पर मा0 नेता सदन, मा0 नेता विरोधी दल तथा अन्य नेताओं ने अपने विचार रखे हैं मैं उनसे अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं । मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इनके शोक संतप्त परिवारों को मेरी और मेरे दल जनता पार्टी की ओर से शोक संवेदना भेजने का कष्ट करें । मान्यवर, रघुकुल तिलक जी के बारे में मैं उल्लेख करना चाहूंगा क्योंकि वह आजादी के महान योद्धा थे और समाजवाद के अच्छे प्रणेता थे । मेरे जैसे नौजवान जो समाजवादी आन्दोलन से जुड़े रहे हैं, हमेशा रघुकुल तिलक से प्रेरणा लेने का काम किया है । अन्त में पुनः मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मेरी और मेरे दल जनता पार्टी की ओर से उनके शोक संतप्त परिवारों तक संवेदना पहुंचाने का कष्ट करें ।

*श्री राम स्वरूप वर्मा–

माननीय अध्यक्ष जी, श्री रघुकुल तिलक, श्री काली चरन, श्री धर्मदत्त वैद्य, श्री शोबन सिंह जीना, श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह, श्री राजपाल, श्री अक्षयवर सिंह, श्री गौरी राम गुप्त, श्री मोहम्मद असलम हाफिज, श्री ख्याली राम, श्री जगन्नाथ लहरी,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री बल्देव सिंह, यह सारे लोग अत्यन्त उत्कृष्ट समाजसेवी थे । राजनीति में तो इनका दखल था ही, पर समाजसेवा भी इन सबने की । एक से बढ़कर एक थे । दुख है, हार्दिक दुख है कि यह लोग हमारे बीच में नहीं रहे । मान्यवर, इस संबंध में जो शोकोद्गार माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल और अन्य नेताओं ने व्यक्त किए हैं मैं उनसे अपने को सम्बद्ध करता हूं और आपसे विनम्र अनुरोध करता हूं कि हमारे शोकोद्गार उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचा दें । मैं इन सभी महानुभावों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, . . . . .

एक सदस्य–

यह किस दल के नेता हैं ?

श्री अध्यक्ष–

इन्होंने व्यक्तिगत रूप से इच्छा व्यक्त की है ।

*श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, श्री रघुकुल तिलक, श्री काली चरन, श्री धर्मदत्त वैद्य, श्री शोबन सिंह जीना, श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह, श्री राजपाल, श्री अक्षयवर सिंह, श्री गौरी राम गुप्त, श्री मोहम्मद असलम हाफिज, श्री ख्याली राम, श्री जगन्नाथ लहरी, सरदार बल्देव सिंह, यह सारे सदन के केवल माननीय सदस्य ही नहीं थे, इस प्रदेश की विभूतियां थे और इन्होंने राजनीति तथा अन्य क्षेत्रों में रहकर इस प्रदेश और देश की सेवा की और एक नई दिशा दी । यह सत्य है कि इनके निधन से इस देश और प्रदेश की जो क्षति हुई है वह पूरी नहीं की जा सकती । मैं माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल तथा अन्य नेताओं ने जो भावनाएं व्यक्त की हैं उनसे अपने को और प्रगतिशील विधायक दल के अन्य सदस्यों को सम्बद्ध करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि हम लोगों की शोक संवेदना उनके शोक संतप्त परिवारों तक पहुंचाने का कष्ट करें । मान्यवर, श्री धर्मदत्त वैद्य के संबंध में शोक संवेदना मेरे दल के सदस्य श्री भूपेन्द्र नाथ शर्मा के माध्यम से उनके परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल, माननीय नेता भारतीय जनता पार्टी, माननीय नेता भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, माननीय नेता कम्युनिस्ट पार्टी, माननीय नेता बहुजन समाज पार्टी, माननीय नेता शोषित समाज दल, माननीय नेता जनता जे0 पी0 दल एवं अन्य सदस्यगण, जो भावनाएं आप सब ने ऐसी प्रतिभाओं के बारे में व्यक्त की हैं जिन्होंने कभी इस सदन में रहकर हमारे प्रदेश और समाज की सेवा की है । मैं भी आप सबकी भावनाओं से अपने को सम्बद्ध करता हूं । इसमें बहुत से ऐसे व्यक्तित्व रहे हैं जो स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में अगली और दूसरी पंक्ति में रहे । वे पत्रकार भी थे और बहुत से लोगों से मेरा व्यक्तिगत भी साथ रहा । आज ऐसे समय में उनकी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

याद करता हूं कि जो समाज सेवा के स्थान में रिक्तता वह पैदा कर गए हैं वह बड़ी कठिनाई से पूरी होगी । आपने विचार व्यक्त करते समय यह जो इच्छा व्यक्त की है कि उस संतप्त परिवार को आप सबकी भावनाएं पहुंचाई जाएं उसके लिए सभी की इस पूरे सदन की भावनाओं को मैं उनके संतप्त परिवार तक पहुंचाऊंगा । अब मैं पुन: आपसे निवेदन करूंगा कि कृपया दो मिनट मौन खड़े होकर सभी दिवंगत आत्माओं के प्रति सम्मान व्यक्त करें ।

(सभी सदस्य दो मिनट मौन खड़े हुए ।)

कृपया बैठें । उनके सम्मान में आज की कार्यवाही समाप्त होती है । अब हम उठते हैं कल 12 जनवरी को 11 बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 1 बजकर 15 मिनट पर अगले दिन को 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया ।)

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
11 जनवरी, 1990

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'क'

(देखिए अता0 प्र0सं0 1 का उत्तर पीछे पृष्ठ 21 पर)

विकास खंड हरैया में 12/88 से 11/89 तक सिंचित क्षेत्र/राजस्व आय का विवरण

| क्रमांक | कप संख्या | ग्राम का नाम | सिंचन क्षमता एवं अपेक्षित कमाण्ड (हेक्टेयर में) | 12/88 से 11/89 तक सिंचित क्षेत्र (हेक्टेयर में) | राजस्व (आय) की प्राप्ति |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 सगड़ी | मनिका डीह | 100 | 14 | 2256.00 |
| 2 | 12 ,, | गड़ेरूआ | 100 | 34 | 4355.00 |
| 3 | 32 ,, | जोकहरा | 100 | 28 | 4001.00 |
| 4 | 39 ,, | बच्छउर खुर्द | 100 | 7 | 1292.00 |
| 5 | 41 ,, | गंगापार | 100 | 14 | 2108.00 |
| 6 | 42 ,, | सरगहा सागर | 100 | 3 | 256.00 |
| 7 | 59 ,, | हरैया | 100 | 16 | 2428.00 |
| 8 | 60 ,, | मऊ कुतुबपुर | 100 | 26 | 3284.00 |
| 9 | 85 ,, | सहनुपुर | 100 | 29 | 3072.00 |
| 10 | 90 ,, | मसुरियापुर | 100 | 24 | 2654.00 |
| 11 | 89 ,, | हाजीपुर | 100 | 18 | 1413.00 |
| 12 | 98 ,, | करखिया | 100 | 8 | 825.00 |
| 13 | 105 , | बक्षावर | 100 | 2 | 169.00 |
| 14 | 108 ,, | ताहिरपुर | 100 | 5 | 644.00 |
| 15 | 111 ,, | शाहडीह | 100 | 18 | 2062.00 |
| 16 | 131 ,, | सिरदिलपुर | 100 | 26 | 3068.00 |
| 17 | 135 ,, | पम्खोरपुर | 100 | 13 | 1381.00 |
| 18 | 136 ,, | बैजाबारी | 100 | 26 | 3169.00 |
| 19 | 139 ,, | कुकरोझी | 100 | 6 | 920.00 |
| 20 | 143 ,, | बेलकुण्डा | 100 | 22 | 2844.00 |
| 21 | 146 ,, | बनियापार | 100 | 28 | 2808.00 |
| 22 | 150 ,, | सेठाकोली | 100 | 20 | 2233.00 |
| 23 | 156 ,, | आराजी देवारा | 100 | 3 | 383.00 |
| 24 | 193 ,, | बढ़ेरा रसूलपुर | 100 | 16 | 1654.00 |
| 25 | 196 ,, | करखिया द्वितीय | 100 | 4 | 276.00 |
| 26 | 199 ,, | परेवा रुद्रपुर | 100 | 34 | 4187.00 |
| योग | 26 | | 2600 | 444 | 53742.00 |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिए अता0 प्र0 सं0 2 का उत्तर पीछे पृष्ठ 21 पर)

विकास खंड बिलरियागंज में 12/88 से 11/89 तक सिंचित क्षेत्र/राजस्व (आय) का विवरण।

| क्रमांक | कूप संख्या | | ग्राम का नाम | सिंचन क्षमता एवं अपेक्षित कमाण्ड (हेक्टेयर में) | 12/88 से 11/89 तक सिंचित क्षेत्र (हेक्टेयर में) | राजस्व (आय) की प्राप्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | सगड़ी | दुबहरनखुर्द | 100 | 13 | 2240.00 |
| 2 | 2 | सगड़ी | दुबहरनबुजुर्ग | 100 | 15 | 1539.00 |
| 3 | 3 | ,, | मधुबन | 100 | 35 | 4622.00 |
| 4 | 15 | ,, | पाती | 100 | 24 | 3124.00 |
| 5 | 16 | ,, | गुलबागौरी | 100 | 20 | 1900.00 |
| 6 | 25 | ,, | बसिला | 100 | 22 | 3052.00 |
| 7 | 26 | ,, | कुआदेवचन्दपट्टी | 100 | 38 | 5368.00 |
| 8 | 27 | ,, | बनकट | 100 | 2 | 176.00 |
| 9 | 35 | ,, | गौरीनरायनपुर | 100 | 18 | 2530.00 |
| 10 | 43 | ,, | घरसन | 100 | 2 | 186.00 |
| 11 | 44 | ,, | देवाविन्दवल | 100 | 23 | 3449.00 |
| 12 | 47 | ,, | रबानपुर भगतपट्टी | 100 | 8 | 1394.00 |
| 13 | 48 | ,, | भावारामपुर | 100 | 3 | 345.00 |
| 14 | 49 | ,, | इन्दुआ | 100 | 34 | 4748.00 |
| 15 | 50 | ,, | अण्डाखोर | 100 | 15 | 1783.00 |
| 16 | 52 | ,, | जमीरसूलपुर | 100 | 5 | 1098.00 |
| 17 | 61 | ,, | शादीपट्टी | 100 | 33 | 4161.00 |
| 18 | 63 | ,, | बरौहीफतेहपुर | 100 | 20 | 2915.00 |
| 19 | 66 | ,, | डीहा | 100 | 4 | 446.00 |
| 20 | 67 | ,, | जमीनपड़री | 100 | 1 | 53.00 |
| 21 | 68 | ,, | बमेला | 100 | 27 | 2759.00 |
| 22 | 71 | ,, | जोलहापुर | 100 | 16 | 2236.00 |
| 23 | 74 | ,, | बिजयापार | 100 | 38 | 5289.00 |
| 24 | 78 | ,, | बरनाजगदीशपुर | 100 | 10 | 1257.00 |
| 25 | 79 | ,, | भेलवाई | 100 | 15 | 2037.00 |
| 26 | 80 | ,, | ओरा | 100 | 18 | 2451.00 |
| 27 | 83 | ,, | अवटी | 100 | 16 | 1965.00 |
| 28 | 84 | ,, | रसूलपुरनन्दलाल | 100 | 9 | 1356.00 |
| 29 | 86 | सगड़ी | आगापुर | 100 | 18 | 2711.00 |
| 30 | 88 | ,, | गुलौर | 100 | 48 | 4866.00 |
| 31 | 99 | ,, | पिपइहा | 100 | 23 | 3894.00 |
| 32 | 100 | ,, | शाहाबुद्दीनपुर | 100 | 5 | 701.00 |
| 33 | 106 | ,, | बिन्दवल | 100 | 32 | 4222.00 |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 115 | ,, | अखईपुर | 100 | 12 | 2081.00 |
| 35 | 117 | ,, | ककरहीदुलार | 100 | 6 | 654.00 |
| 36 | 127 | ,, | सिपरहा | 100 | 8 | 771.00 |
| 37 | 149 | ,, | लंगरपुर | 100 | 44 | 5910.00 |
| 38 | 197 | ,, | पहलवानपुर | 100 | 5 | 325.00 |
| 39 | 200 | ,, | बर्जा | 100 | 30 | 2568.00 |
| योग | 39 | | | 3900 | 615 | 93182.00 |

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ग'

(देखिए अता0 प्र0 सं0 15 का उत्तर पीछे पृष्ठ 27 पर)

विकास खंड अजमतगढ़ में 12/88 से 11/89 तक सिंचित क्षेत्र/राजस्व (आय) का विवरण।

| क्रमांक | कूप संख्या | ग्राम का नाम | सिंचन क्षमता एवं अपेक्षित कमाण्ड (हेक्टेयर में) | 12/88 से 11/89 तक सिंचित क्षेत्र (हेक्टेयर में) | राजस्व (आय) की प्राप्ति |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 सगड़ी | नत्थूपुर | 100 | 20 | 3291.00 |
| 2 | 3 ,, | पतार | 100 | 5 | 1085.00 |
| 3 | 6 ,, | रोजासेकनपट्टी | 100 | 22 | 2772.00 |
| 4 | 7 ,, | बोलिया | 100 | 11 | 1372.00 |
| 5 | 8 ,, | महदेवा | 100 | 21 | 3742.00 |
| 6 | 9 ,, | महौआ | 100 | 31 | 1702.00 |
| 7 | 10 ,, | चकचतुरसेन | 100 | 14 | 4172.00 |
| 8 | 13 ,, | खार | 100 | 10 | 1047.00 |
| 9 | 14 ,, | केशपुर | 100 | 25 | 2100.00 |
| 10 | 28 ,, | सालिशपुर | 100 | 43 | 7278.00 |
| 11 | 29 ,, | छीड़ीजमीनछीड़ी | 100 | 8 | 894.00 |
| 12 | 30 ,, | मदाव | 100 | 39 | 4267.00 |
| 13 | 31 ,, | ममोना | 100 | 29 | 2927.00 |
| 14 | 33 ,, | बनकटिया | 100 | 79 | 8408.00 |
| 15 | 34 ,, | महुलाजमीनमहुला | 100 | 80 | 8968.00 |
| 16 | 37 ,, | जीयनपुर | 100 | 11 | 1675.00 |
| 17 | 38 ,, | छपरा | 100 | 12 | 1954.00 |
| 18 | 45 ,, | नदौरा | 100 | 9 | 1348.00 |
| 19 | 51 ,, | कोठा | 100 | 15 | 1787.00 |
| 20 | 53 ,, | बेरमा | 100 | 13 | 2720.00 |
| 21 | 54 ,, | रामपुर | 100 | 23 | 3092.00 |
| 22 | 55 ,, | भुआनाबुजुर्ग | 100 | 12 | 1266.00 |
| 23 | 56 ,, | उदका | 100 | 20 | 1797.00 |
| 24 | 56 ,, | करनपुरसरैया | 100 | 3 | 661.00 |
| 25 | 62 ,, | हरसिंहपुर | 100 | 8 | 1384.00 |
| 26 | 69 ,, | पारनकुण्डा | 100 | 16 | 1445.00 |
| 27 | 70 ,, | भरोली | 100 | 29 | 3390.00 |
| 28 | 77 ,, | जमीनहरखोरा | 100 | 8 | 1759.00 |
| 29 | 81 ,, | अतरकछाउ | 100 | 25 | 2152.00 |
| 30 | 87 सगड़ी | लुचुई | 100 | 33 | 4200.00 |
| 31 | 101 ,, | चौयीपुर | 100 | 7 | 1065.00 |
| 32 | 102 ,, | पारनकुण्डा द्वितीय | 100 | 28 | 5192.00 |
| 33 | 103 ,, | पतौना | 100 | 41 | 6813.00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 104 | ,, | बुलुआ | 100 | 13 | 1444.00 |
| 5 | 112 | ,, | इसरहा | 100 | 7 | 657.00 |
| 6 | 113 | ,, | मुन्दनपुर | 100 | 29 | 3184.00 |
| 7 | 114 | ,, | उमरीशेखपुर | 100 | 24 | 5675.00 |
| 8 | 118 | ,, | टसवाबद्दोपुर | 100 | 30 | 7300.00 |
| 9 | 119 | ,, | अलीपुर | 100 | 19 | 4484.00 |
| 0 | 120 | ,, | मानिकपुर | 100 | 26 | 3858.00 |
| 1 | 128 | ,, | तरवका | 100 | 17 | 1656.00 |
| 2 | 129 | ,, | अन्जानशहीद | 100 | 12 | 924.00 |
| 3 | 130 | ,, | चकफैजुल्लाह | 100 | 10 | 1892.00 |
| 4 | 132 | ,, | अमुजारीनरायनपुर | 100 | 1 | 208.00 |
| 5 | 133 | ,, | देवपुर कमालपुर | 100 | 7 | 661.00 |
| 6 | 148 | ,, | मुसलमानपुर | 100 | 19 | 2189.00 |
| 7 | 151 | ,, | तिलपुरा | 100 | 9 | 906.00 |
| 8 | 152 | ,, | डिछवनिया | 100 | 2 | 14600 |
| 9 | 154 | ,, | कपारगढ़ | 100 | 17 | 2139.00 |
| 0 | 157 | ,, | फरीदपुर | 100 | — | -- |
| 1 | 190 | ,, | हनुमान नगर | 100 | 10 | 957.00 |
| 2 | 195 | ,, | बिशुनपुर | 100 | 8 | 780.00 |
| योग | 52 | | | 5200 | 1010 | 1,36,765.00 |

उत्तर प्रदेश गजट

नत्थी 'घ'

(देखिए अता0 प्र0 सं0 38 का उत्तर पीछे पृष्ठ 35 पर)

परिशिष्ट "क"

| औषधि का नाम व | बैच नं0 | |
|---|---|---|
| 1--क्लोरमफैनिकोल केपसूल .. | 7243 | |
| 2--यूनीस्ट्रप .. .. | ए 215 | |
| 3--सपट्रान .. .. | 0593 | |
| 4--नोवलजी .. .. | 478 | |
| 5-सेपट्रान .. .. | 0503 | (विभिन्न स्थानों से एकत्रित) |
| 6--टेट्रासाइक्लिन कपसूल . | 4502 | |
| 7--डक्सामेथासोन टबलेट .. | 602 | |
| 8--कोलीफन केपसूल .. .. | 4012 | |
| 9--जी एल-क्लोर-स्ट्रेप .. | 401 | |
| 10--स्ट्रपकेप केपसूल .. .. | 01 | |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

परिशिष्ट "ख"

औषधि का नाम व बैच नम्बर

| | | |
|---|---|---|
| 1---कम्पाउन्ड ओपियम ट्रिप | .. | 69 |
| 2---एपक्विन 250 टेब | .. | 02 |
| 3---एसपिरिन टेबलेट .. | .. | आई0पी0ए0एस/07883 |
| 4---क्लोरोक्विन पी0ओ0 4 टेबलेट | .. | आई0पी0 1059 |
| 5--लोराक्विन टेबलेट .. | .. | क्यू-23 |
| 6--पिपराजिन पो0ओ0 4 टेबलेट | .. | आइ0पी0ए/0123 |
| 7--पिपराजिन सी0टी0आर सिरप | .. | यू0एस0पी0एस0पी0सी0ओ0 133 एन |
| 8--क्लोरोक्विन टेबलेट | .. | आई0बी0 432 पी |
| 9---प्राईमाक्विन पी0ओ0 4 टेबलेट | .. | बी0पी0 206019 |
| 10--लिक्विड पैराफिन .. | .. | आई0पी0 6 |
| 11---काओलिन .. | .. | एन0एफ0डी0एच0/192/145 |
| 12---सालियामाइड टेबलेट | .. | एन0एफ0एस0टी0 एस0एल0-62 |
| 13--पैरासिटामोल .. | .. | आई0पी0 45 |
| 14--पैरासिटामोल .. | .. | आई0पी0 472 |
| 15--डाइफेन हाइड्रामिन एच0सी0एल0 केपसूल | .. | 117281 |
| 16---इन्डोसिन .. | .. | 94 |
| 17---प्रोमेथाजिन एच0सी0एल0 इलिक्सिर | | पी0एच0। |
| 18--डोलोक्सेन .. | .. | टी 4457 |
| 19---एस्कालिन .. | .. | 5122 |
| 20--आयोडीन आइन्टमेन्ट | | |
| 21---डाइफेन हाइड्रा .. | .. | एच0सी0एल0पी0ओ0 61084 |
| 22--एस्मारिन .. | .. | 151 |
| 23--सलफिन .. | .. | टी0 131 |
| 24---एब्सोरवेन्ट काटन वूल | .. | आई0पी0 0787 |
| 25---हैन्डलूम क्लाथ वेन्डेज | .. | 9 |
| 26---हैन्डलूम क्लाथ वेन्डेज | | |
| 27---फिनायल .. | .. | आर0डब्लू0सी0 1038 |
| 28---ए0बी0 काटन वूल ... | .. | आई0पी0 079 बी0 |
| 29--रोलड वेन्डेज .. | .. | 7-74 |
| 30---एच/एल0 रोलड बेन्डेज | .. | बी0 12 |
| 31---के0जी0 बी0 रोलड वेन्डेज | .. | 83 |
| 32---रोलड वेन्डेज | | |
| 33---बिना लेवल का वेन्डेज क्लाथ | | |
| 34---एब्सोरवेन्ट काटन वूल | .. | आई0पी0 125 |
| 35---एब्सोरवेन्ट काटन वूल | .. | 458 |
| 36---एच0/एल0 रोलड वेन्डेज | .. | बी0 14 |
| 37---एच0/एल रोलड वेन्डेज | .. | 14 |

| | | |
|---|---|---|
| 38---एब्सोरवेन्ट काटन वूल | .. | आई0पी0 564 |
| 39---एब्सोरवेन्ट काटन वूल | .. | 274 |
| 40--हैन्डलूम वेन्डेज क्लाथ | .. | 988--68 |
| 41---रोलड वेन्डेज क्लाथ | | |
| 42---रोलड वेन्डेज क्लाथ | .. | 1 |
| 43---रोलड वेन्डेज क्लाथ | .. | नम्बर नहीं |
| 44--गाज क्लाथ .. | .. | 175 |
| 45--हैन्डलूम वेन्डेज क्लाथ | | |
| 46---तदैव | | |
| 47---तदैव | | |
| 48---वेन्डेज क्लाथ .. | .. | नम्बर नहीं |
| 49---हेन्डलूम काटन गाज क्लाथ नम्बर नहीं | | |
| 50---हेन्डलूम वेन्डेज क्लाथ | .. | 30 |
| 51---वेन्डेज क्लाथ .. | .. | ए0--64 |
| 52--हेन्डलूम एब्सोरवेन्ट गाज | .. | 2-81 |
| 53---तदैव | | |
| 54--रोलड वेन्डेज .. | .. | नम्बर नहीं |
| 55---एब्सोरवेन्ट काटन वूल | .. | आई0पी0 564 |
| 56---प्रिमेथाजिन एलिक्सर | .. | वी0पी0सी0 223 |
| 57---पोटेशियम परमैंगनेट | .. | आइ0पी0 101 |
| 58---पिमेथाजिन एच0सी0एल0 क्लिक्स | | पी0पी0सी0ओ0 1284 |
| 59---पडेक्सट्रोज इन्जेक्शन | .. | 558 |
| 60---वाटर फार इन्जेक्शन | .. | 2585 |
| 61---जी0के0 केल्शियम 10% विटामिन सी | .. | 500 एम0जी0 1/जी0सी0 |
| 62---क्लोरमफेंनीकोल ओरल सस्पेन्शन | .. | सी0पी0एस0ओ0 5/87 |
| 63---फेरो रेडोक्सोन .. | .. | 66 |
| 64---क्लोरमफेनिकौल .. | .. | 0180 |
| 65---तदैव | | |
| 66---तदैव | | |
| 67--तदैव | | |
| 68---ओक्टोविट टेबलेट .. | .. | 698 |
| 69---लियोविट .. | .. | 12 टेबलेट वी0 60209 |
| 70--क्लोरमफेंनिकोल केपसूल | .. | 0180 |
| 71---जी0के0 केल्शियम 10% विटा-सी 500 एम0जी0 | .. | 4/जी0सी0 |
| 72---टेट्रासाइक्लिन केपसूल | .. | 0179 |
| 73---औक्टाविट सी0 टबलेट | .. | 797 |
| 74--डेक्सामेथाजोन इन्जेक्शन | .. | --- |
| 75---तदैव .. | .. | 16 |
| 76---क्लोरमफेनीकोल ओरल सस्पेन्शन | .. | एस0पी0 187 |
| 77--डेक्सामेथाजोन .. | .. | --- |
| 78---जेन्टामाइसिन इयर/आई ड्राप | .. | जी0डी0/0587 |
| 79---ग्रोका कल्शियम .. | .. | 2/जी0सी0 |

अर्थ पंचायत सभा

| | | |
|---|---|---|
| 80--सोडियम क्लोराइड व डेक्सट्रोज इन्जेक्शन | .. .. | डी0ओ0 65 |
| 81--क्लारम फेनिकोल केपसूल | .. | 0182 |
| 82--क्लोरमफेनिकोल ओरल सस्पेन्शन | .. | एस-वी0-87 |
| 83--स्ट्रोप्टोमाइसिन इन्जेक्शन | .. | सी0एल0 88 |
| 84--क्लोरमफनिकोल केपसूल | .. | 1197 |

विधान सभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश

पी0एस0यू0पी0--एल0 375 विधान सभा (620)--1990--813।